उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम्, (सेक्टर – एफ) फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	20
दिनांक	:	08 जुलाई 2015
समय	:	अपराह्न 3.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

मा. कुलपति जी! अनुमोदन करना चाहें।

28/7/15

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"

डॉ (पी० पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

फाफामऊ, इलाहाबाद
211013

फोन 0532 2447038

पत्रांक ओ. यू. / परीक्षा / /2015

दिनांक : / /2015

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 08 जुलाई 2015 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 20वीं बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक : उक्तवत्

भवदीय,

डॉ० (पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

1. प्रो. एम.पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. प्रो. नागेश्वर राव, सम कुलपति इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली–110068
3. डॉ. एस.पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. डॉ. एम.एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7. डॉ. संतोषा कुमार एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
8. डॉ. जी.के. द्विवेदी असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री ए.पी. त्रिपाठी कुलसचिव उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 08 जुलाई 2015 को अपराह्न 3.00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की 20वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :-

1. प्रो0 एम. पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	अध्यक्ष
2. डॉ0 एस. पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
3. डॉ0 एम. एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
4. डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
5. डॉ0 पी. पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य सचिव
6. डॉ0 संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
7. डॉ. जी.के. द्विवेदी, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री ए.पी. त्रिपाठी कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। — आमंत्रित सदस्य

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति की 20वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

20.01 परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015, 27/02/2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

20.02 परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015, 27/02/2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

20.03 विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना।

20.04 केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा।

20.05 परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying squad/Observers की रिपोर्ट।

20.06 पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।

20.07 विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार।

20.08 परीक्षा व्यवस्था

(i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार।

(ii) आन्तरिक/बाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार।

(iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।

20.09 कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।

20.10 परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मा0 कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों सहित नवागन्तुक सदस्य डॉ0 जी0 के0 द्विवेदी असिस्टेण्ट प्रोफेसर, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का स्वागत् किया गया तथा सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई इसके साथ ही समिति के पूर्व सदस्य डॉ0 मीरा पाल असिस्टेण्ट प्रोफेसर, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके द्वारा दिये गये योगदान से सबको अवगत कराते हुये उनकी सराहना की गयी एवं धन्यवाद दिया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियन्त्रक डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे ने कार्य सूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया:

परीक्षा समिति की **20वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु**

कार्यसूची **बिन्दु संख्या 20.1**

परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015 व 27/02/2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015 व 27/02/2015 को सम्पन्न नियमित एवं आपातकालीन परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली नियमित व आपातकालीन बैठक दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015 व 27/02/2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची **बिन्दु संख्या 20.2**

परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015 व 27/02/2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को कार्यवृत्त के बिन्दुवार कार्यवाही से अवगत कराया।

परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015 व 27/02/2015 में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से निम्न के अनुसार अवगत हुई: (संलग्नक– 01 पृष्ठ संख्या–01-19)।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

28/7/15

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.3

विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विगत सत्र के UFM एवं संविक्षा के निर्णय की कार्यवाही से अवगत कराया।

(i) परीक्षा सत्र दिसम्बर–2014 में 18 परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित थे (संलग्नक– 02 पृष्ठ संख्या–20-23)।

(ii) परीक्षा सत्र दिसम्बर–2014 में कुल 31 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रों पर परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई (संलग्नक– 03 पृष्ठ संख्या–24-25)।

परीक्षा समिति ने विगत सत्र के UFM एवं संविक्षा के निर्णय की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.4

केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत है:–

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।
5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं (संलग्नक– 04 पृष्ठ संख्या– 26)।

परीक्षा नियंत्रक

9/8/7/15

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:–

(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय।

(ii) परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।

(iii) परीक्षा समय सारणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।

(iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.5

परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying squad/Observers की रिर्पोट।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying squad/Observers की रिर्पोट से अवगत कराया।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि Flying squad/Observers की रिर्पोट पर परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

28/7/15

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.6

पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराया जिसका विवरण निम्नवत है:–

(a) परीक्षार्थी जितेन्द्र कुमार नामांकन संख्या 4102210204552 कार्यक्रम B.Com द्वारा परीक्षा केन्द्र एस–022 कुवाँरी चन्द्रावती महाविद्यालय पर पेपर के हिसाब से सुविधा शुल्क ले कर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि सुविधा शुल्क देने वाले परीक्षार्थियों को अलग एवं न देने वालों को अलग कमरे में बैठा कर परीक्षा करायी जाती है।

(b) परीक्षार्थी राजीव कुमार पाठक, शिवांगी मणि त्रिपाठी, श्वेता शर्मा, विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी व नीतू यादव राघव नगर, देवरिया द्वारा परीक्षा केन्द्र बी.आर.डी. पी.जी. कॉलेज, देवरिया एस–017 पर प्रति प्रश्नपत्र एम0ए0 रू 800/– व बी0ए0 500/– के हिसाब से सुविधा शुल्क ले कर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार।

(c) परीक्षार्थियों त्रिशा चौहान नामांकन संख्या 121941050004, गरीमा शाही 121721050030, विवेक चौधरी 121721050037, विद्यानंदन उपाध्याय 221941050005, विकास सिंह 221941050007, नन्दनी वर्मा 221941050003, अविनाश सोनकर 221941050002 व सोबिया मंजूर 221941050004 कार्यक्रम BCA द्वारा परीक्षा केन्द्र एस–013 बुद्ध पी.जी. कॉलेज, कुशीनगर पर परीक्षा जून–2014 में प्रायोगिक परीक्षा के लिये रू 500/– से 1000/– प्रति छात्र/छात्रा लिये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित शिकायती पत्र पर विचार (परीक्षार्थियों को शपथ पत्र पर अपनी शिकायत टंकित करा कर प्रेषित करने हेतु पत्र Speed Post No. RU038766321IN, RU038766318IN, RU038766352IN, RU038766349IN, RU038766392IN, RU038766383IN, RU038766370IN, RU096035940IN, द्वारा दिनांक 12 व 10/6/2015 को प्रेषित)।

(d) विश्वविद्यालय के कर्मचारी श्री रमेश सिंह के परीक्षा जून–2015 में परीक्षा केन्द्र एस–009 प्रताप बहादुर कॉलेज, प्रतापगढ़ द्वारा परीक्षा गोपनीय सामग्री लेने से मना करने से सम्बन्धित पत्र पर विचार (गोपनीय सामग्री समय से प्राप्त करने हेतु परीक्षा केन्द्र एस–009 को पत्र Speed Post No. RU119485839IN द्वारा दिनांक 20/6/2015 को प्रेषित)।

(e) श्री संतोष कुमार तिवारी द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि उनकी पुत्री सुश्री शाम्भवी नामांकन संख्या 3270310210269 कार्यक्रम Bcom द्वारा द्वितीय वर्ष का अधिन्यास जमा करने पर भी प्रवेश पत्र में नॉट एलाउड आया था। सेन्टर हेड श्री एस.के. तिवारी से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कहा गया कि उन्होने विश्वविद्यालय को अधिन्यास जमा नहीं किया है, न ही जमा करेंगे और न ही वापस करेंगे। केन्द्र से प्रकरण पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है **(संलग्नक–05 पृष्ठ संख्या–27-31)**।

अनुमोदित

परीक्षा नियंत्रक

28/7/15

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.7.

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या से अवगत कराया (संलग्नक– 06 पृष्ठ संख्या–32-34)।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को **Show cause notice** दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.8

परीक्षा व्यवस्था

(i) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार (संलग्नक– 07 पृष्ठ संख्या–35-43)।

(ii) आन्तरिक/बाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार (संलग्नक– 08 पृष्ठ संख्या–44-45)।

(iii) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।

20/7/15

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को से अवगत कराया कि परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार, आन्तरिक/बाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संषोधन पर विचार एवं परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता अनुमन्य करना आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु <u>संख्या 20.9</u>

कतिपय परीक्षा <u>केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।</u>

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा के अन्तिम दिन परीक्षा केन्द्र S-230 छत्रधारी महाविद्यालय, दयालपुर, चन्दौली द्वारा सभी प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाये एवं S-921 कृष्ण सुदामा संस्थान, कैथी, वाराणसी द्वारा की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें बिलम्ब से भेजना प्रेषण सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई है (संलग्नक– 09 पृष्ठ संख्या–46-48)।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "केन्द्र संख्या एस–230 द्वारा पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु एस–921 द्वारा अन्तिम दिन ही देर से भेजी गई है" को संज्ञान में लेते हुए दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

समाप्त

परीक्षा नियंत्रक

28/7/15

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.10

परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को अवगत कराया कि परीक्षा जून–2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकन हेतु नोडल केन्द्रों पर भेजी जा रहीं हैं।

28/7/15

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 20.11

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुयी।

(i) तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस.एस.डी. कालेज कानपुर, S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कालेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गई/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त कराई गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गई उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है (संलग्नक– 10–पृष्ठ संख्या–49-51)।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

संज्ञान में लाया गया कि उक्त आशय की जाँच करने हेतु एक जाँच समिति का गठन हुआ है किन्तु आख्या अप्राप्त प्रतीक्षित है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:–

(a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्यदिवस के अन्दर अपनी जाँच रिर्पोट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय।

(b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय।

(c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य प्रश्नपत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय संस्तुत किया गया था।

(d) समस्त कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय।

(ii) परीक्षा परीणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong Room में सुरक्षित रखा जाय।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ0 (पी. पी. दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

23/7/15

संलग्नक – 01

[illegible] संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गये निर्णय	पिछली बैठक के लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
16.01	परीक्षा समिति की 15वी बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बिन्दुवार विमर्श कर सभी बिन्दुओं की पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.02	परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 से लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत हुई।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.03	परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार। सामान्य परीक्षा नियंत्रक	परीक्षा समिति द्वारा कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 16.03 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मानकों पर विचार, बिन्दु में "मानक" शब्द हटाकर "दिशा निर्देश" अंकित करने की संस्तुति दी गयी एवं अतिरिक्त विषय जोड़ने व नया बिन्दु अंकित करने की संस्तुति की गयी जिसका विवरण निम्नवत है: <u>परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश</u> 1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो। 2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे। 3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

		4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहाँ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय। 5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। 6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय। 7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं। 8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं।	
16.04	प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रू 150 से बढाकर 300 कर दिया जाय एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रोफार्मा में संशोधन करा दिया जाय व शुल्क ड्राफ्ट/नकद जमा करने का भी उल्लेख कर दिया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

परीक्षा नियंत्रक

16.05	प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात शिक्षार्थी द्वारा अंकपत्र में किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु आवेदन शुल्क निर्धारण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रव्रजन प्रमाण पत्र निर्गत होने के पश्चात अंकपत्र पर किसी प्रकार का संशोधन कराने हेतु रु 500 शुल्क जमा कराने के पश्चात संशोधन किया जाय बशर्ते विश्वविद्यालय की इसमें कोई गलती न हो।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.06	अंकपत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अंकपत्र/उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत कराने हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रु 100 से बढ़ाकर रु 200 लिया जाय एवं उपाधि की द्वितीय प्रति निर्गत करने से पूर्व छात्र से हलफनामा जमा करा लिया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.07	पूर्व निर्धारित संवीक्षा शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि संवीक्षा हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क रु 100 से बढाकर रु 200 कर दिया जाए।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.08	UFM सम्बन्धी निर्णय के मानकों पर पुनः विचार।	परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अशांति फैलाने वाले प्रकरण को (द) से निरूपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित करने कर निर्णय लिया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
16.09	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु पूर्व निर्धारित शुल्क में वृद्धि पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रत्येक परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के लिये शुल्क रु 800 किया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

सभापति

परीक्षा नियंत्रक

16.10	परीक्षा समिति की 15 वीं बैठक दिनांक 14 अगस्त 2013 के बिन्दु संख्या 15.05 से 15.07 तथा 15.08 के बिन्दु (ii) व (iv) में लिये गये निर्णयानुसार स्थगित परीक्षा केन्द्रों के प्रकरण पर पुनः विचार।	1. उड़ाका दल की आख्या के आधार पर ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनको अगले एक परीक्षा सत्र तक परीक्षा केन्द्र बनाये जाने से वंचित रखा गया था उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो ऐसे केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है। शेष तीन परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
		2. ऐसे परीक्षा केन्द्र जिनके ऊपर उत्तर पुस्तिका विलम्ब से भेजने पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये अगले एक वर्ष तक परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने की कार्यवाही की गयी थी उनसे यदि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त हो गये है तो इन केन्द्रों को चेतावनी पत्र देते हुये दोष मुक्त किया जा सकता है।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
		3. ऐसे केन्द्र जिन्हे अन्य कारण से अगले दो वर्ष तक/भविष्य में परीक्षा केन्द्र न बनाये जाने का परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लेते हुये संस्तुति की गई थी ऐसे परीक्षा केन्द्रों की दण्डात्मक कार्यवाही यथावत रखी जायेगी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
16.11	विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार।	विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:– 1. अबतक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय। 2. सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। 3. "अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जांय।	कुलसचिव कार्यालय को कार्यवाही हेतु संसूचित।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

16.12	एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार।	विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की कुल अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
16.13	(i) चरित्र प्रमाण पत्र सशुल्क निर्गत करने पर विचार ।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रु 50 जमा करा कर चरित्र प्रगाण पत्र जारी किया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
	(ii) प्रवेश पत्र पर संशोधन सम्बन्धी निर्देश अंकित किये जाने पर विचार।	प्रकरण पर चर्चा करते हुये सर्वसम्मति से परीक्षा समिति ने संस्तुति की कि किसी प्रकार की त्रुटी होने पर उसका निस्तारण तत्काल करा लिया जाय।	

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

प्रकरण संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गये निर्णय	पिछली बैठक के लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
17/01	सत्र 2009 – 10 में बी.ए. कार्यक्रम में प्रवेशित शिक्षार्थी कुमारी प्रिया मिश्रा द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 22005/2014 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये Observation के आलोक में प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि – I. कुमारी प्रिया मिश्रा के प्रकरण में छात्रा के हित व व्यतीत समय को दृष्टिगत रखते हुये विशेष परिस्थिति में प्रवेश सूचना विवरणिका में वर्णित प्रतिबन्धित विषय विकल्पों में छूट प्रदान करते हुए उनके द्वारा चयनित विषयों के आधार पर क्रेडिट पूर्ण करने की स्थिति में पूर्ण अंकपत्र श्रेणी सहित निर्गत किया जाय। II. प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के किसी अन्य प्रकरण के संज्ञान में आने पर परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर मा. कुलपति जी द्वारा निर्णय लिया जाय। III. प्रवेश अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश रोकते हुये, नामांकन संख्या व परिचय पत्र न आवंटित किये जाय। IV. परीक्षा अनुभाग को निर्देशित किया जाय कि प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के चयन के प्रकरणों में प्रवेश पत्र न जारी किया जाय साथ ही यदि शिक्षार्थी प्रतिबन्धित विषय विकल्पों के साथ परीक्षा दे देता है तो उसका परिणाम रोक दिया जाये। V. अंकपत्र के प्रारूप संशोधन हेतु मा. कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

17.02	श्री मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज बलिया (S- 004) द्वारा अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने तथा सम्बन्धित शिक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके जाने के सापेक्ष प्राचार्य मुरली मनोहर टाउन पी. जी. कालेज बलिया के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी पत्र पर चर्चा	जून 2013 परीक्षा के सापेक्ष जिन शिक्षार्थियों के अधिन्यास के कारण अंकपत्र अपूर्ण हैं उन्हें पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में जमा करने के लिये सूचित किया जाय, तथा उनका मूल्यांकन करा कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाये। यह सूचना अध्ययन केन्द्र के प्राचार्य / समन्वयक को भी प्रेषित किया जाय। अधिन्यास मूल्यांकन की नवीन व्यवस्था का अनुपालन न करने सम्बन्धी अनियमितता के लिये अध्ययन केन्द्र पर 3 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया जाय।।	अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें से सम्बन्धित कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। शेष कार्यवाही हेतु प्रशासन अनुभाग को संसूचित।
17.03	डिफेन्स कालेज आफ कार्मस एण्ड टेक्निकल मैनेजमेंन्ट, देवरिया (S- 703) के प्रबन्धक के पत्र, जो परीक्षा केन्द्र को काली सूची से बाहर करने एवं केन्द्र की पुरानी स्थिति बहाल करने के सम्बन्ध में है, पर चर्चा	सम्बन्धित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन हैं इसलिये मा. न्यायालय के निर्णय तक प्रतीक्षा किया जाय तथा परीक्षा समिति के पुराने निर्णय को यथावत रखा जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
			परीक्षा नियंत्रक

17/04	श्री ओम प्रकाश तिवारी, 1498, नवीपुर, शाहगंज, (श्यामनगर) सुल्तानपुर के शिकायती पत्र तथा मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ में योजित याचिका संख्या – 37079/2012, श्री ओम प्रकाश तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2012 के अनुपालन में तत्कालीन मा. कुलपति जी द्वारा दिनांक 04/10/2013 को पारित आदेश/निर्णय से परीक्षा समिति को अवगत कराया गया । आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही से भी समिति को अवगत कराया गया। प्रकरण से सम्बन्धित श्री ओम प्रकाश तिवारी, श्री अमर बहादुर सिंह एवं अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये पत्र व अनुस्मारक के उत्तर अद्यतन प्रतीक्षित हैं।	समिति ने निर्णय लिया कि उत्तर आने तक प्रकरण पर अग्रेतर कोई कार्यवाही न की जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गये निर्णय	पिछली बैठक के लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
18.01	परीक्षा दिसम्बर–2014 के उत्तर पुस्तिकाओं का शीघ्र मूल्यांकन कराने हेतु नोडल मूल्यांकन केन्द्र एवं नोडल प्रभारी नियुक्त करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि– 1. *परीक्षा दिसम्बर–2014 की उत्तर* पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु बरेली, लखनऊ व इलाहाबाद तीन नोडल केन्द्र बनाये जायें। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराने से पूर्व अथवा पश्चात मे मूल्यांकन कर्त्ताओं की सूची अवश्य अनुमोदित करा ली जाय। 3. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा भी क्षेत्रीय कार्यालय पर मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की अहर्ता का ध्यान रखा जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
18.02	मूल्यांकन केन्द्र / नोडल प्रभारी के मानदेय पर विचार।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि– 1. पूर्व की व्यवस्था में बाह्य नोडल प्रभारिओ के लिए मानदेय निर्धारित था किन्तु आन्तरिक नोडल प्रभारी हेतु कोई मानदेय नहीं था। समिति ने संस्तुति की कि आन्तरिक नोडल प्रभारी को भी बाह्य नोडल प्रभारी के समतूल्य मानदेय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी के मानदेय के पुनरीक्षण एवं उपरि–सीमा पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समस्त निदेशक गण, वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक होगें एवं समस्त पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।	समिति का गठन हो चुका है किन्तु समिति की आख्या प्रतिक्षित है। सत्यापित परीक्षा नियंत्रक

18.03	विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कर्ता को 100 उत्तर पुस्तिकाओं का एक बण्डल घर ले जाकर मूल्यांकन करने एवं एक दिन पश्चात मूल्यांकित पुस्तिकाएं वापस करने पर ही दूसरा 100 उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल देने पर विचार।	परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि– 1. 01 पैकेट (लगभग 100 उ0पु0) का मूल्यांकन करने हेतु अधिकतम तीन दिन का समय दिया जाय। 2. नोडल प्रभारी द्वारा मूल्यांकित कॉपियाँ प्राप्त करने के पश्चात Randomly Check करा लिया जाय कि सभी उ0पु0 ठीक प्रकार से Check हुई है या नहीं। तत्पश्चात दूसरा उ0पुस्तिकाओं का बण्डल मूल्यांकन हेतु दिया जाय। 3. मूल्यॉकन करने हेतु कॉपियाँ देते समय मूल्यांकन कर्ता का PAN No., बैंक का नाम तथा परीक्षक का अंग्रेजी के Capital Letters में (जैसा बैंक A/C मे है), IFS Code, A/C No. आदि की जानकारी ले लिया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।
18.04	विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये उड़ाका दल के सदस्यों के पारिश्रमिक को पालीवार करने एवं ठहराव का दर अनुमन्य करने पर विचार।	परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि– कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।	समिति का गठन हो चुका है किन्तु समिति की आख्या प्रतिक्षित है।
18.05	विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा लेने गये परीक्षकों के ठहराव के दर अनुमन्य करने पर विचार।	परीक्षा समिति के निर्णय लिया कि– कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।	समिति का गठन हो चुका है किन्तु समिति की आख्या प्रतिक्षित है।
18.06	विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु स्थापित कंट्रोल रूम में सम्बद्ध शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने पर विचार।	कार्य सूची के बिन्दु सं. 18.02 के बिन्दु के अनुसार गठित समिति को इस प्रकरण को भी विचारार्थ एवं संस्तुति हेतु सन्दर्भित किया जाय।	समिति का गठन हो चुका है किन्तु समिति की आख्या प्रतिक्षित है।

परीक्षा नियंत्रक

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गये निर्णय	पिछली बैठक के लिए गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
19.01	मा0 जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, गोरखपुर में योजित वाद संख्या–76/2013, कु0 विरक्ति राय बनाम परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, के प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि– 1. कुमारी विरक्ति राय को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत उनके एम0ए0 कार्यक्रम के अंकपत्र व उपाधि को निरस्त करने का कारण बताते हुए अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने की सूचना, पत्र प्रेषित कर दे दी जाय। 2. कुमारी विरक्ति राय के एम0ए0 कार्यक्रम की अंकतालिका एवं उपाधि निरस्त करने की सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाय एवं दैनिक समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी जाय। 3. कुमारी विरक्ति राय की जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष बी0ए0 कार्यक्रम की उपाधि निर्गत करते हुए उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर में प्रस्तुत कर दिया जाय। साथ ही उपभोक्ता फोरम, गोरखपुर को कुमारी विरक्ति राय के कार्यक्रम बी0ए0 की उपाधि जून–2008 की परीक्षा के सापेक्ष देने एवं एम0ए0 कार्यक्रम का अंकपत्र व उपाधि निरस्त करने का भी पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक—02

[illegible] राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् आवास कालोनी, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद 0532—2447038

[illegible] /2014—15 दिनांक 11.05.15

यू.एफ.एम. समिति की बैठक

[illegible] को यू.एफ.एम. समिति की बैठक हुई, बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित

प्रो० पी०पी० दुबे, परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.रा.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।
प्रो० [illegible] एन० मिश्र, वाणिज्य विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
प्रो० जटाशंकर तिवारी, दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
प्रो० एम० एन० सिंह, निदेशक, समाजविज्ञान विद्याशाखा, उ.प्र.रा.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।
डा० पी० के० पाण्डेय, उप परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र.रा.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।
डा० उपेन्द्र नाथ तिवारी, विशेष कार्याधिकारी, परीक्षा, उ.प्र.रा.ट.मु.वि.वि., इलाहाबाद।

समिति ने परीक्षा सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय के लिए विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश [illegible] अनुशासन धारा 5(xx) के अधीन ख (10) के आधार निम्न आधारों की अनुसंशा।

आधार	निर्णय
अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित न होने पर	जिसे (अ) से निरुपित। आरोप मुक्त।
अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, [illegible] प्रयोग न किया गया हो,	जिसे (ब) से निरुपित। सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
अनुचित साधन विषय से सम्बन्धित हो, और [illegible] प्रयोग किया गया हो,	जिसे (स) से निरुपित। वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की [illegible] वाले प्रकरण,	जिसे (द) से निरुपित। वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
अन्य गंभीर प्रकरणों में,	जिसे (इ) से निरुपित। सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से निरहित कर दिया जाय।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

दिसम्बर 2014 परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित परीक्षार्थियों के सन्दर्भ में समिति द्वारा लिये गये निर्णय निम्नवत है:–

S. No.	Name & Address	Enroll. No.	Paper	Decision
1.	SHALINI GUPTA D/O RAMESH CHAND GUPTA RELWAY STATION PLAHNI AZAMGARH, UP 276001	315191010005	UGSY-05	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
2.	SHASHI C/O GIRISH KUMAR VILL. & POST- BHADESI DISTT. ALIGARH-202001	4100110608674	UGST-03	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
3.	RADHIKA PRASAD DUBEY C/O DUKH HARAN DUBEY 44, IFFCO TOWENSHIP GHIYA NAGAR, PHULPUR ALLAHABAD-212404	310061040006	UGMM-06	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
4.	SUSHIL KUMAR MISHRA C/O RADHE SHYAM MISHRA KC-37 IFFCO TOWENSHIP GHIYA NAGAR, PHULPUR ALLAHABAD-212404	310061040004	UGMM-06	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
5.	KUSHLESH SINGH C/O RAJ KUMAR SINGH VILL- PURE DHAUKAL SINGH PO-VISHUNDASPUR DISTT. RAEBARELI- 229207	310941010036	UGHI-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
6.	SHOBHIT SINGH C/O TRILOKI SINGH VILL- HARDASPUR, PO- GANGAPUR DISTT.- VARANASI	310941010033	UGHI-04	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।

8.	SANTOSH KUMAR MISHRA C/O BADRI PRASAD MISHRA VILL-HARPUR, PO- KAILIDEEH DISTT.-PRATAPGARH-230306	222131010013	UGEC-03	आरोप मुक्त 00/70 उ०प्र०संख्या:- 4705571 से सम्बन्धित / [signature]
9.	MAHENDRA KUMAR C/O JAGESHWAR SINGH VILL.-TIWARIPUR, PO- BHEWALI DISTT.- KANPURNAGAR	310102020005	BLIS-07(N)	वर्तमान परीक्षा सत्र निरस्त एवं अगला परीक्षा सत्र प्रतिबंधित।
	RADHA DEVI C/O VINAY KUMAR GUPTA 3/33 Dr. TARA CHANDRA HOSTEL UNIVERSITY OF ALLAHABAD ALLAHABAD-211002	4121320206849	BLIS-09(N)	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
10.	RAMSWAROOP YADAV C/O ANURUDH PRASAD YADAV PALTAN TIWARI SHIVNAGAR PARWER DISTT.-SULTANPUR	14951230	BEDSE-08	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
11.	ROHNI MISHRA C/O OM NARAYAN MISHRA VILL & PO- SAIDNAGAR DISTT.- JALAUN-985223	13953210	BEDSE-15	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
12.	PRADEEP KUMAR VISHWAKARMA C/O RAMSHIREMAN VISHWAKARMA VILL.-GERAI, PO.-GOPIGANJ DISTT.-BHADOHI-221303	310861020001	BCOM-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
13.	KRISHNA KUMAR C/O RAMESH CHANDRA SUDHAWAI SANT RAVIDASH NAGAR-221508	310861020002	BCOM-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

[signature] [signature] [signature]
13/5/15

	RAJESHWAR PRASAD C/O BINDESHWARI PRASAD G-1/498, ARMAPUR ESTATE KANPUR-208009	4201150100584	PGDCA-1.5	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
15.	LAVKUSH TRIPATHI C/O SHIV BHUSHAN TRIPATHI 180/43 BH. MALAKRAJ RAMBAGH ALLAHABAD-211003	22057020011 22005702 0011	MBA-5.23	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।
16.	DEEPIKA PANDEY C/O TRIBHUVAN NATH PANDEY 96 SEC-E SHANTIPURAM PHAPHAMAU, ALLAHABAD-211013	311202010008	MAPS-06	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
17.	PARVEEN BANO C/O HABIB KHAN 179- INSIDE UNNAO GATE JHANSI-284002	310412010002	MAED-08	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
18.	SWATI GUPTA C/O MANOJ KUMAR GUPTA 1168 BLOCK-G AWAS VIKAS-11 KALYANPUR KANPUR KANPUR-208017	315132010001	MAED-09	सम्बन्धित प्रश्न पत्र निरस्त।

परीक्षा नियंत्रक

अनुचित साधन प्रयोग सम्बन्धित परीक्षाफल घोषित करने तथा [illegible] पत्र निर्गत करने हेतु अवगत होना चाहें।

B Singh 13/5/15

[illegible] 13.5.15

O/C

13.5.15

परीक्षा नियंत्रक

13/5/15

संवीक्षा दिसम्बर - 2014

संलग्नक - 03

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,इलाहाबाद

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर शान्तिपुरम् आवास योजना, सेक्टर F फाफामऊ, इलाहाबाद

परीक्षा नियंत्रक

फोन नं. 0532–2447123

दिनांक:22.06.15

पत्रांक/COE,

परीक्षा दि- 14

सूच्य है कि संवीक्षा समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार संबंधित परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं की संवीक्षा की गई। संवीक्षा के उपरान्त स्थिति निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	नामांकन संख्या	कोर्स कोड	पूर्व के प्राप्तांक	संवीक्षोपरान्त प्राप्तांक	टिप्पणी
1.	4138710604636	MAEN-03	30/70	40/70	अंक में परिवर्तन
2.	314082010005	MAEN-06	33/70	50/70	अंक में परिवर्तन
3.	314082010005	MAEN-07	32/70	52/70	अंक में परिवर्तन
4.	314082010005	MAEN-08	33/70	50/70	अंक में परिवर्तन
5.	314082010005	MAEN-09	26/70	55/70	अंक में परिवर्तन
6.	13036106	BED-11	24/70	32/70	अंक में परिवर्तन
7.	500500152	UGMM-01	22/70	32/70	अंक में परिवर्तन
8.	14956234	BED-06	26/70	36/70	अंक में परिवर्तन
9.	310372010002	MAHI-08	37/70	37/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
10.	310372010002	MAHI-09	37/70	37/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
11.	310372010002	MAHI-10	40/70	40/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
12.	1203710400057	UGCHE-01	10/70	10/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
13.	3203710115755	UGSY-01	27/70	27/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
14.	3201120200198	BLIS-09	23/70	23/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
15.	14951320	BED/PGPD-61	22/70	22/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
16.	14036110	BED-02	21/70	21/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
17.	120721040042	UGZY-07	19/70	19/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
18.	120052230008	PGBCH-07	17/70	17/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
19.	4101620200868	BLIS-09(N)	14/70	14/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
20.	4138710604636	MAEN-01	24/70	24/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
21.	4138710604636	MAEN-02	27/70	27/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
22.	4138710604636	MAEN-04	44/70	44/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
23.	4138720104649	MAEN-01	21/70	21/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
24.	4138720104649	MAEN-02	29/70	29/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
25.	4138720104649	MAEN-03	40/70	40/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
26.	4138720104649	MAEN-04	45/70	45/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
27	14140108	BED-03	23/70	23/70	कोई परिवर्तन नहीं है।
28.	120161010030	UGEN-02	24/70	24/70	कोई परिवर्तन नहीं है।

नोट:--अंकपत्र में उक्त सारे अंक प्रश्न--पत्र की क्रेडिट के अनुसार परिवर्तित कर मुद्रित होंगे।

उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना चाहे।

परीक्षा नियंत्रक

22/06/15

22.06.15

परीक्षा नियंत्रक

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,इलाहाबाद

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर शान्तिपुरम् आवास योजना, सेक्टर F फाफामऊ, इलाहाबाद

फोन नं. 0532–2447123

OAD/COE/ दिनांक:25.06.15

सूच्य है कि संवीक्षा समिति के निर्णयोपरान्त तीन परीक्षार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में छूटे हुए प्रश्नों को मूल्यांकित कराने के उपरान्त स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	नामांकन संख्या	कोर्स कोड	पूर्व के प्राप्तांक	संवीक्षोपरान्त प्राप्तांक	टिप्पणी
1.	120621010087	UGSY-04	24/70	28/70	अंक में परिवर्तन
2.	4101010605404	UGEN-02	24/70	26/70	अंक में परिवर्तन
3.	4191060106950	DFD-01	50/100	60/100	अंक में परिवर्तन

नोटः–अंकपत्र में उक्त सारे अंक प्रश्न–पत्र की क्रेडिट के अनुसार परिवर्तित कर मुद्रित होंगे।

उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करना चाहें।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु दिशा निर्देश

संलग्नक – 04

1. परीक्षा केन्द्र सामान्य रूप से उन्हीं महाविद्यालयों को बनाया जायेगा जो किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र हो।
2. परीक्षा केन्द्र यथासम्भव राजकीय महाविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालय में ही बनाये जायेगे।
3. परीक्षा केन्द्र बनाये जाने वाले अध्ययन केन्द्र के स्वयं की कम से कम छात्र संख्या 60 हो व 3 वर्ष से अध्ययन केन्द्र चल रहा हो।
4. नया परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय वहॉ परीक्षार्थियों के लिए पहुँचने की स्थिति तथा अन्य परीक्षा केन्द्र से दूरी को विशेष ध्यान रखा जाय।

5. परीक्षा केन्द्र निर्धारण करते समय परीक्षा नियंत्रक की सहायता के लिये कुलपति जी द्वारा एक समिति गठित की जायेगी जो परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु पूर्व के दिशा निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 4 को ध्यान में रखते हुये अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।
6. सभी जिलों में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र रखने का प्रयास किया जाय।
7. बड़े शहरों मे एक से ज्यादा परीक्षा केन्द्र हो सकते हैं।
8. विशेष परिस्थिति में मा0 कुलपति जी अपने विशेषाधिकार से परीक्षा केन्द्र बनाने की संस्तुति दे सकते हैं।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक - 05

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ० (पी० पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद
211013

मो0–0532–2447038

पत्रांक: उ० प्र० रा० ट० मु० वि० / परीक्षा/4558 /2015

दिनांक :04 /06 /2015

सेवा में,

श्री राजीव कुमार पाठक,
सुश्री शिवांगी मणि त्रिपाठी, श्वेता शर्मा
निशा त्रिपाठी, संध्या कुमारी, नीतू यादव
...नगर, देवरिया

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 22 / 01 / 2015 का पत्र विश्वविद्यालय में दिनांक 22 / 01 / 2015 को प्राप्त हुआ है जो परीक्षा केन्द्र बी0आर0डी0 पी0जी0 कॉलेज, देवरिया में अवैध वसूली से सम्बन्धित है के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न पत्र यदि आपके द्वारा प्रेषित किया गया है तो पत्र में संलग्नित विवरण को शपथ पत्र पर टंकित कराकर प्रेषित करें जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक: उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0 (पी0पी0 दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

प.सं. ओ.यू. / परीक्षा /4558 (1)(ii) / 2015 तद्दिनांक 04/06/15

प्रतिलिपि: मा0 कुलपति जी के निजी सचिव को मा0 कुलपति जी के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक

डॉ0 (पी0पी0 दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

27

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवरिया (उ०प्र०)

पत्रांक 141/BRD/2014-15 दिनांक 08.05.15

(पंजीकृत)

सेवा में

परीक्षा नियंत्रक
उ0प्र0 राजर्षि टंडन, मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद।

विषयः—परीक्षा दिसम्बर 2014 में केन्द्र पर नकल कराये जाने से सम्बन्धित शिकायती पत्र की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अपने पत्र पत्रांक—ओ0यू0 / परीक्षा / 4054 / 2015, दिनांक 30.03.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दिसम्बर 2014 की परीक्षा में कुछ लोगों द्वारा केन्द्र पर पैसा लेकर नकल कराने की शिकायत पर आख्या माँगी गयी है। उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि बी0आर0डी0पी0जी0कालेज,देवरिया बहुत पुराना अनुदानित कालेज है। यहाँ कला संकाय, विज्ञान संकाय, कृषि संकाय तथा बी0एड0(शिक्षा)संकाय चार संकाय हैं और प्रति वर्ष लगभग 3500 विद्यार्थी अध्ययनरत रहते हैं। इनकी वार्षिक परीक्षा नकल विहीन, पारदर्शी तथा शुचितापूर्ण होती है। इसी कारण दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर द्वारा प्रतिवर्ष देवरिया जनपद के दस महाविद्यालय के बी0एड0 के परीक्षार्थियों का जनपदीय परीक्षा केन्द्र बी0आर0डी0पी0जी0कालेज, देवरिया को ही बनाया जाता है और लगभग एक हजार बी0एड0 के परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वार्षिक परीक्षा बी0आर0डी0पी0जी0कालेज देवरिया केन्द्र पर होने वाली नकल विहीन एवं शुचितापूर्ण परीक्षा सम्पादित कराने में डॉ0 कमलापति सहायक केन्द्राध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के अध्ययनकेन्द्र बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज देवरिया (एस—017) के समन्वयक डा0 कमलापति उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद के परीक्षा केन्द्र बी0आर0डी0पी0जी0कालेज देवरिया की परीक्षा में भी सहायक केन्द्राध्यक्ष रहते है। यह परीक्षा भी नकल विहीन पारदर्शी और शुचितापूर्ण होती है तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष डा0 कमलापति नकल विहीन परीक्षा संचालन में इमानदारी से सहयोग करते है। परीक्षा कक्ष में महाविद्यालय के शिक्षक ही कक्ष निरीक्षक का कार्य करते है किसी बाहरी व्यक्ति को कक्ष निरीक्षक कार्य में नही लगाया जाता है । परीक्षार्थियो के मोबाइल, बैग आदि अलग कक्ष मे बन्द करा दिया जाता है । परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा कक्ष मे प्रवेश करते है । क्रमशः

परीक्षा नियंत्रक

बाबा राघवदास स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवरिया (उ०प्र०)

पत्रांक 131/प्रा०/BRD/2014-15

दिनांक 08-5-15

(2)

दिसम्बर 2014 की शीतकालीन वार्षिक परीक्षा मे कुछ छात्रो द्वारा किये गये शिकायती पत्र के सम्बन्ध मे सादर अवगत कराना है कि सघन तहकीकात करने पर यह तथ्य सामने आया है कि उक्त शिकायती पत्र के शिकायतकर्ता अधोहस्ताक्षरी के अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थी नही है बल्कि अन्य अध्ययन केन्द्र के शिक्षार्थी है । परीक्षा केन्द्र बी०आर०डी०पी०जी० कालेज, देवरिया (एस–017) पर दिसम्बर–2014 की परीक्षा के समय नकल विहीन परीक्षा कराये जाने के कारण आवेश मे आकर अपने अपने अध्ययन केन्द्रो द्वारा किये गये धन उगाही आदि उत्पीडन को अधोहस्ताक्षरी के परीक्षा केन्द्र के साथ जोड कर भ्रामक एवं गलत आरोप लगाते हुए तथ्य से परे शिकायती पत्र, परीक्षा नियन्त्रक, उ०प्र० राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रेषित किया गया है ।

सादर सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी के केन्द्र पर विश्वविद्यालय के मानक के अनुसार नकल विहीन, शुचितापूर्ण एवं पारदर्शी परीक्षा होती है । शिकायतकर्ताओ का पैसा लेकर नकल कराये जाने या उत्तर पुस्तिका बाहर लिखवाये जाने का आरोप भ्रामक है, मिथ्या है, मनगढन्त है,पूर्णतःगलत है और तथ्य से परे है तथा महाविद्यालय की छवि को धूमिल करने वाला है ।

उक्त शिकायती पत्र के सम्बन्ध में मांगी गयी आख्या आपकी सेवा मे सादर सेवार्पित है।

सादर ।

भवदीय

08-05-15

(डा०ए०के०राय)

प्राचार्य

बी०आर०डी०पी०जी०कालेज,

देवरिया

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद
211013
0532-2447038

डा० (पी० पी० दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक : उ० प्र० रा० ट० मु० वि० / परीक्षा / 4054 / 2015 — दिनांक : 30 / 03 / 2015

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य
बी० आर० डी० कॉलेज,
देवरिया
उ०प्र० – 210201

विषय : परीक्षा दिसम्बर– 2014 में केन्द्र पर नकल कराये जाने से सम्बन्धित प्राप्त शिकायती पत्र के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके परीक्षा केन्द्र पर नकल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव कुमार पाठक, शिवांगि मणि त्रिपाठी, [illegible] शर्मा, विभा त्रिपाठी, संध्या कुमारी व नीतू यादव राघव नगर, देवरिया ने अध्ययन केन्द्र / परीक्षा केन्द्र बी० आर० डी० कॉलेज, देवरिया के सम्बन्ध में शिकायती पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि, समस्त परीक्षार्थियों से परीक्षा *दिसम्बर– 2014* में एम०ए०–I, II से रू 800 / – एवं बी०ए०–I,II व III से रू 500 / – प्रति प्रश्न पत्र की दर से जबरदस्ती वसूला गया तथा 1500 / – रू लेकर उत्तर पुस्तिका बाहर लिखायी जाती है शिकायत कर्त्ताओं के पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया इस प्रकरण को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पत्र प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : उक्तवत्

भवदीय

डॉ. (पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

पृ.सं. उ.प्र.रा.ट.मु.वि. / परीक्षा / 4054(i) / 2015 — तद्दिनांक 30/03/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्धक, बी० आर० डी० कॉलेज, देवरिया को शिकायती पत्र की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित प्रकरण पर अपनी आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. कुलसचिव उ. प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. मा० कुलपति जी के निजी सचिव को मा० कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

डॉ. (पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

(11)

(02)

पंजीकृत

सेवा में

दिनांक: 22.01.2015

परीक्षा नियंत्रक
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद, 211013

विषय: **परीक्षा केन्द्र बीआरडी पीजी कालेज देवरिया में अवैध वसूली के सम्बन्ध में।**

महोदय,

हम समस्त छात्रगण उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षार्थी है हम लोगों का परीक्षा दिसम्बर 2014 में बीआरडी पीजी कालेज देवरिया में हुआ। परीक्षा के दौरान हम समस्त परीक्षार्थियों से एम0ए0 I, II से 800 रूपये प्रति प्रश्नपत्र, बी0ए0 I, II, III से 500 रूपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से जबरदस्ती वसूला गया। तथा शिकायत करने पर कहा गया कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता हैं देवरिया अध्ययन केन्द्र की प्राचार्या, दीनानाथ पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय ने सत्र 2012–13 में अवैध धन वसूली की बात लिख चुकी है। मैं ऊपर विश्वविद्यालय तक मैनेज करता हूँ। इसी वजह से मेरा परीक्षा केन्द्र आज तक इसी वजह से परिवर्तित नहीं हुआ। मेरे यहा अन्य केन्द्र का कोई कक्ष निरीक्षक डयूटी भी नही कर सकता है मैं और मेरा लड़का डयूटी एवं वसूली करूँगा। धनराशि न देने पर धमकी दी जाती है कि उत्तीर्ण नहीं होने दूँगा। इस भयवश कोई शिकायत नहीं करता है क्योंकि शिकायत करने पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि बाहर से लिखी जाने वाली प्रति कापी 1500 रूपये लेकर लिखाई जाती है। छात्राओं के साथ बदसलूकी भी किया जाता है। जबकि सरकार द्वारा बार–बार महिला सुरक्षा की बात उठायी जा रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों का अपने स्तर से जॉच, समन्वयक डॉ0 कमला प्रजापति को तुरन्त हटाकर करने पर सही तथ्य सामने आ जायेगा। तथा भविष्य में किसी अन्य/सरकारी कालेज में परीक्षा कराने की कृपा करे।

प्रतिलिपि: 1–माननीय कुलाधिपति महोदय उ0प्र0 लखनऊ।
2–माननीय मुख्यमंत्री (उच्च शिक्षा मंत्री) उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ
3–कुलपति उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद

छात्र/छात्रा
राजकुमार पाठक
शिवानी मणि त्रिपाठी
श्वेता शर्मा
विभा त्रिपाठी
संध्या कुमारी
नीतू यादव
राहुल नगर देवरिया

OE
12/2/15

अग्रसारित
परीक्षा नियंत्रक

31

संलग्नक- 06

(14)

अन्तिम आख्या

कुलसचिव

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पर्णों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ. यू. / 1407 / 2015 दिनांक 03 / 01 / 2015 द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा दिनांक 04 / 03 / 2015 को प्रस्तुत अनतरिम आख्या के तारतम्य में कहना है कि :-

1. समिति ने गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के वर्तमान समन्वयक डॉ. एस. पी. गुप्ता से दूरभाष पर पर्ण संख्या 52, 55, 64 एवं 65 पर किंचित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया।
2. गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वयक द्वारा इस सन्दर्भ में प्रेषित पत्र (ई-मेल द्वारा) जोकि पत्रावली में संलग्न है का भी संज्ञान लेते हुए समिति का अभिमत है कि –

i उपरोक्त चारों पर्णों में हस्ताक्षर एक ही मूल्यांकनकर्त्ता के प्रतीत होते है किन्तु चारों पर्ण विभिन्न विषयों के है जिनका मूल्यांकन कोई एक विषय विशेषज्ञ नही कर सकता है।

ii B.Com के विभिन्न प्रश्नपत्रों एवं AOCHE के पर्णों में उद्धृत नामांकन संख्या सही नही है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त चारों पर्णों में उलिखित अधिन्यास के प्राप्तांको को निरस्त करते हुए उनका पुर्न मूल्यांकन कराया जाय।

iii जिस प्राध्यापक ने उपरोक्त अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित की हो, भविष्य में उनसे मूल्यांकन कार्य न कराया जाय।

iv सन्दर्भित अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के अंक क्षेत्रीय समन्वयक का कार्य देख रहे तत्कालीन समन्वयक श्री राजेश गौतम द्वारा प्रेषित किये गये थे।

समिति का यह मानना है कि क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के तत्कालीन समन्वयक एवं उनके सहायकों को अधिन्यास अंको के सम्बन्ध में और अधिक संवेदनशील होना चाहिए था।

सामान्य
परीक्षा नियंत्रक

7/5/15
डॉ. (ओमजी गुप्ता)
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा
उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

डॉ. (पी. पी. दूबे)
परीक्षा नियंत्रक
उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

कुलसचिव

अन्तिम आख्या संलग्न है।

07/5/15

32

प्रस्तुत देयको के सम्बन्ध में

(6)

1. कुल 07 देयको में देयक संख्या – 03 पर पेपर कोड अंकित नहीं है।
2. देयक संख्या – 04 में कार्यक्रम अंकित है किन्तु कोड अंकित नहीं है एवं देयक पूर्ण नहीं है।
3. भुगतान हेतु कुल 07 देयक ही प्रस्तुत किये गये हैं जबकि अंक पर्ण लगभग 15 से अधिक कार्यक्रमों / कोडों से सम्बन्धित हैं।
4. मूल्यांकनकर्त्ताओं की स्वीकृति कब और किससे प्राप्त की गयी, संलग्न पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ख) प्रस्तुत अंक प्रति पर्ण के सम्बन्ध में

1. सभी अंक प्रति पर्ण पर मेरे द्वारा दाहिनी ओर लाल स्याही से नम्बरिंग कर दी गयी है तथा ये कुल 66 ही है।
2. अधिकांश पर्णो में मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. पर्ण संख्या 13 जो कि राजनीतिशास्त्र विषय से सम्बन्धित है। इस पर्ण के अन्त में MAST-03 संस्कृत विषय का भी मूल्यांकन है।
4. पर्ण संख्या 42 B.COM से सम्बन्धित है किन्तु इसी पर्ण में इसी मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा UGHD हिन्दी विषय का मूल्यांकन भी करवाया गया है।
5. पर्ण संख्या 51, 57, 58 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड एवं हस्ताक्षर अलग–अलग है।
6. पर्ण संख्या 22 तथा 51 के मूल्यांकनकर्त्ता एक ही हैं किन्तु अंक पर्ण पर Writing अलग प्रतीत होती है।
7. पर्ण संख्या 25, 26, 27, 28, 29, 54, 56 एवं 57 शिक्षाशास्त्र विषय के हैं, इनके मूल्यांकनकर्त्ता एक ही है किन्तु इनके हस्ताक्षर अलग–अलग प्रतीत होते हैं।
8. पर्ण संख्या 54, 56, 65 तथा 66 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं कोड अलग–अलग हैं।
9. पर्ण संख्या 36 तथा 38 की Hand Writing एक ही किन्तु हस्ताक्षर तथा पेपर कोड अलग–अलग है।
10. एक पर्ण पर केवल एक पेपर कोड अंकित होने के स्थान पर एक से अधिक पेपर कोड अंकित किये गये हैं।

परीक्षा नियंत्रक

11. पर्ण संख्या 12 तथा 14 की Hand Writing एक प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर कोड अलग–अलग हैं।
12. पर्ण संख्या 16 तथा 17 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर कोड अलग–अलग है।
13. पर्ण संख्या 52 तथा 53 Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु हस्ताक्षर एवं पेपर कोड अलग है।
14. पर्ण संख्या 52 तथा 55 पर हस्ताक्षर एक ही प्रतीत होते है किन्तु पेपर कोड अलग–अलग हैं।
15. पर्ण संख्या 12, 14, 52 तथा 53 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड एवं हस्ताक्षर अलग–अलग है।
16. पर्ण संख्या 10 तथा 14 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड तथा हस्ताक्षर अलग–अलग है।
17. पर्ण संख्या 52, 55, 64 एवं 65 की Hand Writing तथा हस्ताक्षर एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड अलग–अलग है।
18. पर्ण संख्या 61 तथा 14 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड एवं हस्ताक्षर अलग–अलग है।
19. पर्ण संख्या 13, 59, 62 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड तथा हस्ताक्षर अलग–अलग है।
20. पर्ण संख्या 65 तथा 66 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है किन्तु पेपर कोड तथा हस्ताक्षर अलग–अलग है।
21. पर्ण संख्या 18 तथा 64 की Hand Writing एक ही प्रतीत होती है, किन्तु हस्ताक्षर एवं कोड अलग–अलग है।
22. पर्ण संख्या 49 के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है।
23. पर्ण संख्या 4 पर मूल्यांकनकर्त्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
24. पर्ण संख्या 49 पर मूल्यांकनकर्त्ता के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है।
25. एक पर्ण पर केवल एक पेपर कोड अंकित होना चाहिए परन्तु एक से अधिक पेपर कोड अंकित किये है।

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक–07

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

केन्द्राध्यक्ष के लिए निर्देश

परीक्षा : दिसम्बर / जून

(क) केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / कक्ष परिप्रेक्षक / पंजिकाएं

1. प्रत्येक केन्द्र पर एक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होंगे जो पूर्णतः परीक्षा के गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं उसके सफल संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
2. प्रत्येक पाली की परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर सहायक केन्द्राध्यक्ष निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :—

(i) 250 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर	1
(ii) 251–500 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर	2
(iii) 501–750 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर	3
(iv) ~~571~~ 751–1000 तक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर	4
(v) 1000 से अधिक पंजीकृत अभ्यर्थियों पर अधिकतम	5

3. प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो परिप्रेक्षक अवश्य हों। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि परीक्षा कार्य में बड़े कमरों का अधिकतम प्रयोग हो जिससे कम से कम परिप्रेक्षकों की आवश्यकता पड़े और यह भी ध्यान रहे कि कुल कक्ष परिप्रेक्षकों एवं कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1/20 का ही रहे **परन्तु किसी भी ~~पाली~~ कक्ष में दो से कम कक्ष परिप्रेक्षक न हों।**
4. परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने वाले केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, कक्ष परिप्रेक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।
5. केन्द्राध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृपया उत्तर पुस्तिका / प्रश्न–पत्रों के रख–रखाव हेतु एक रजिस्टर रखें। यह जिम्मेदारी जिस किसी सहायक केन्द्राध्यक्ष को सौंपी जाए, उन्हें लिखित निर्देश दिए जायं कि वह उत्तर पुस्तिकाओं / प्रश्न–पत्रों की प्राप्ति और उपयोग को प्रतिदिन नोट करें। केन्द्र–व्यय का रख–रखाव एक पृथक से रजिस्टर / प्रपत्र पर किया जाए जिसमें अग्रिम और नित्य के व्यय का विवरण अंकित किया जाए। इन रजिस्टरों का निरीक्षण भी समय–समय पर विश्वविद्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।
6. कक्ष परिप्रेक्षक प्रति पाली विषयवार उपस्थित परीक्षार्थियों का विवरण (नामांकन संख्या, उत्तर पुस्तिका क्रमांक) रजिस्टर में अंकित कर हस्ताक्षर करें एवं प्रतिहस्ताक्षर केन्द्राध्यक्ष द्वारा करायी जाय।
7. सत्रान्त परीक्षा के प्रातः सत्र की उत्तर पुस्तिका उसी दिन सायं एवं सायं सत्र की उत्तर पुस्तिका अगले दिन पूर्वाह्न तक **परीक्षा नियत्रंक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, सेक्टर "एफ" शान्तिपुरम् आवास योजना, फाफामऊ, इलाहाबाद–211013** को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाय। इसका अनुपालन नही किये जाने की स्थिति में परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने के साथ ही अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रेषण से होने वाले अनुमानित व्यय की धनराशि पूर्व में अग्रिम के रूप में परीक्षा केन्द्र को उपलब्ध करा दी जायेगी।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

(ख) विशेष परीक्षार्थी / विशेष सुविधा

6. नेत्रहीन परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का समय विश्वविद्यालय तीन घण्टे के स्थान पर साढ़े तीन घण्टे कर दिया गया है। नेत्रहीन परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही भेजी जाए।

7. (क) किसी भी परीक्षार्थी को कोई विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है जब तक कि कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति उनके सम्बन्ध में न हो। श्रुति लेखक की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इसकी व्यवस्था की जाये।

(ख) विकलांग परीक्षार्थियों की परीक्षा कक्ष की व्यवस्था भूतल पर ही की जाय।

(ग) परीक्षा भवन / कक्ष / आसन व्यवस्था

8. परीक्षार्थियों के सीट की व्यवस्था ऐसी करावें जिससे उन्हें अनुचित साधन प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हो सके।

(क) प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर परीक्षार्थी की नामांकन संख्या आदि का विवरण अंकित होना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो तो उसका निराकरण तत्काल हो जाना चाहिए।

(ख) परीक्षार्थियों के बैठने, पानी पिलाने आदि की समुचित व्यवस्था केन्द्र पर होनी चाहिए। स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता, कमरे तथा शौचालय आदि की सफाई और प्रकाश आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) प्रश्न–पत्र पैकेटों का रख–रखाव

9. (क) प्रश्न–पत्रों के लिफाफे की जाँच सतर्कता पूर्वक कर लें और यदि किसी लिफाफे की सील टूटी हुई हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सन्देह लिफाफे के सम्बन्ध में हो तो परीक्षा अनुभाग को उसकी सूचना तत्काल दें। इस बीच उस लिफाफे अथवा लिफाफों को दूसरे लिफाफे में रखकर अपनी सील लगा दें। प्रश्न–पत्रों के पैकेटों को विशेष सावधानी के साथ सील बन्द एवं सुरक्षित आलमारी में रखा जाय जिसकी चाभी केन्द्राध्यक्ष के पास रहे।

(ख) प्रश्न पत्र उपलब्धता के सन्देह की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक से बिना वार्ता किये कोई अन्य पैकेट न खोलें।

(ग) परीक्षा नियंत्रक से बिना अनुमति लिये निकट परीक्षा केन्द्र को प्रश्न पत्र न दिये जाय।

(ङ) उत्तर पुस्तिका पर मुहर लगाना / वितरण

10. उत्तर पुस्तिका पर केवल केन्द्र की मुहर लगायी जाए। केन्द्राध्यक्ष को चाहिए कि किसी उत्तर पुस्तिका (अ तथा ब) पर अपने हस्ताक्षर की सील इत्यादि न लगायें। निर्धारित Verification form पर सभी प्रविष्टियाँ छात्र एवं कक्ष परिप्रेक्षक द्वारा भरकर हस्ताक्षर कर दी जाए।

11. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन प्रति पाली के क्रमानुसार ही प्रत्येक कक्ष में भेजना है। उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण भी परीक्षार्थियों को यथा सम्भव क्रमानुसार ही करना है। यदि किसी कारण से किसी क्रमांक की उत्तर पुस्तिका को निरस्त करना पड़े तो कारणों का उल्लेख करते हुये निरस्त उत्तर पुस्तिका को कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक के पास सील बन्द लिफाफे में भेज दिया जाए। परीक्षोपरान्त समस्त प्रयुक्त, अप्रयुक्त एवं निरस्त उत्तर पुस्तिकाओं का क्रमानुसार विस्तृत विवरण कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक के पास सीलबन्द लिफाफे में भेजा जाए।

12. (क) परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि वे उत्तर पुस्तिकाओं के दोनों तरफ प्रश्नों का उत्तर लिखें। यदि किसी पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा रफ किया गया हो तो उसे उत्तर पुस्तिका जमा करने

परीक्षा नियंत्रक

के पूर्व वह स्वयं काट दे जिसका मूल्यांकन परीक्षक द्वारा नहीं किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ अथवा भाग परीक्षार्थी द्वारा फाड़ा नहीं जाना चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी किसी लिखे उत्तर को काटना चाहे तो वह ऐसा (X) करके काट सकता है।

(ख) यदि किसी परीक्षार्थी ने "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग "अ" उत्तर पुस्तिका के साथ किया है उसे निर्देश दिया जाये कि दोनों उत्तर पुस्तिकाओं को एक साथ मजबूती से धागे से बाँध दें। इनकी जांच–पत्र (Verification) पर अवश्य कर दिया जाय।

(च) परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों का प्रवेश/अनुचित साधन प्रयोग पर प्रभावी रोक

13 (क) परीक्षा भवन का द्वार प्रथम दिन परीक्षा प्रारम्भ होने से पन्द्रह मिनट पूर्व खोला जाए।

(ख) पूर्णतया पारदर्शी एवं नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न कराई जाए।

(ग) परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पहले से ही सम्बंधित शिक्षक/कर्मचारी एवं उस पाली के परीक्षार्थियों के अलावा अन्य कोई छात्र या व्यक्ति केन्द्र परिसर में न रहे। इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों की समुचित तलाशी गेट पर लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये और परीक्षा कक्षों में कम से कम प्रथम घण्टे के अन्दर दो बार यह घोषित किया जाये कि नकल करते हुए यदि छात्र पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही होगी।

(घ) परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम रखना केन्द्राध्यक्षों की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में उनको ही नेतृत्व करना है।

(ङ) परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन **(अर्थात परीक्षा भवन के मुख्य द्वार के अन्दर)** में कोई लिखी चिट, पुस्तक व नोट्स न लाने पावे। परीक्षार्थी प्रश्न–पत्रों के प्राप्त होने के पूर्व अपने डेस्क भी देख लें कि उसके अन्दर कोई अवैध सामग्री न रहे। यदि कोई ऐसी सामग्री परीक्षार्थी के पास पायी जायेगी तो उसका अर्थ यह समझा जायेगा कि वह नकल कर रहा था अथवा करने का प्रयास कर रहा था। परिप्रेक्षक प्रतिदिन प्रश्न–पत्रों के वितरण के पूर्व परीक्षार्थियों को इस सन्दर्भ में सतर्क कर दें।

(च) **परीक्षा हाल में नकल या नकल की चेष्टा :** पुस्तक/पुस्तकों छायाप्रति, कागज और अन्य नकल सामग्री, (परिचय पत्र, रुमाल, परिधान, पट्री, ज्यामिती डिब्बा, हथेली या शरीर के अन्य किसी भाग आदि पर लिखित सामग्री) संगणक–याददाश्तक सहित (जब तक प्रश्न पत्र में विशेष रूप से अनुमति न दी गयी हो), हेडफोन/मोबाइल/सेल फोन न ले जाने दिया जाय।

(छ) **उत्तर पुस्तिका में संकेत :** उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र से असम्बद्ध लिखित सामग्री यथा–अनुक्रमांक/फोन नम्बर, स्लोगन (जैसे–जय माता दी) भिन्न–भिन्न प्रकार के कलम और रंगों की स्याही, भिन्न–भिन्न तरीकों से रेखांकन (अण्डरलाइनिंग) जैसे–दो या तीन लाइनों को साथ/विशेष प्रकार की सजावट आदि।

(ज) परीक्षा जब तक चल रही हो उस बीच कोई भी परीक्षार्थी पुस्तक, नोट्स अथवा किसी प्रकार की अनाधिकृत सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पावे। परीक्षार्थी से किसी भी सन्दर्भ में (चाहे प्रश्न–पत्र में मुद्रण की त्रुटि आदि से सम्बंधित ही क्यों न हो) कोई वार्ता परीक्षा कक्ष में न की जाए।

(झ) केन्द्र पर उड़ाकादल के पहुँचने पर उनका सहयोग किया जाए और सफल परीक्षा संचालन में उनसे सहयोग लिया जाए।

परीक्षा नियंत्रक

(ञ) परीक्षा के दौरान उड़ाकादल/कक्ष परिप्रेक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षार्थी के पास से पकड़े गये अवैध सामग्री पर पकड़ने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर आवश्यक हों, जिसे केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्तरित किया जाना है। साथ ही अवैध सामग्री पर सम्बन्धित परीक्षार्थी का भी हस्ताक्षर करायें। यदि परीक्षार्थी हस्ताक्षर करने से मना करता है तो तद्नुसार इस तथ्य को अपनी रिपोर्ट में इंगित कर दें।

(ट) अनुचित साधन प्रयोग से सम्बन्धी उत्तर पुस्तिकाएं उसी दिन सायं एवं सांय सत्र की उत्तर पुस्तिकाएं अगले दिन पूर्वाह्न परीक्षा नियंत्रक के नाम स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से अलग पैकेट में रखकर अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिये जाय तथा पैकेट के ऊपर पाठ्यक्रम कोड के साथ UFM उल्लेख किये जाय।

(ठ) किसी परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र होने एवं परीक्षा केन्द्र पर सीटिंग प्लान में नाम न होने पर परीक्षा से वंचित न किया जाय।

(ड) किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र के फोटो एवं परिचय पत्र से मिलान न होने पर परीक्षा में सम्मिलित न करायें।

(ढ) परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट तक यदि कोई शिक्षार्थी उपस्थित होता है तो उसे परीक्षा से वंचित न किया जाय।

(ण) किसी परीक्षार्थी के पास प्रवेश पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में बिना परीक्षा नियंत्रक से अनुमति लिये परीक्षा न दिलायें।

(त) किसी भी परीक्षार्थी को बिना कारण समय से छूट व अतिरिक्त समय न दें।

14. यदि कोई परीक्षार्थी बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है और आप संतुष्ट हैं कि वह वास्तव में वही परीक्षार्थी है तो आप उसे उस दिन की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध जाँच–पत्र से मिलान करके प्रदान कर सकते हैं।

15. यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश–पत्र परीक्षा के बीच में गायब हो जाता है तो उससे रू0 5.00 मात्र शुल्क तथा आवेदन–पत्र लेकर प्रवेश–पत्र की द्वितीय प्रति दे दें तथा प्राप्त धनराशि विश्वविद्यालय में जमा करा दे।

16. प्रश्न–पत्र वितरण हो जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को एक घण्टे के पहले उत्तर पुस्तिका जमा कर अन्तिम रूप से परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति न दी जाए।

17. परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के नियंत्रण में रहेंगे और परीक्षार्थियों का कर्त्तव्य होगा कि केन्द्राध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिप्रेक्षकों के प्रत्येक निर्देश का पालन करें। यदि कोई परीक्षार्थी निर्देश की अवहेलना अथवा अभद्र व्यवहार करेगा तो केन्द्राध्यक्ष को अधिकार है कि उस परीक्षार्थी को परीक्षा से बहिष्कृत कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर पूरी रिपोर्ट सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यक है और उसी के आधार पर अपराध की गम्भीरता को देखते हुये परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने अथवा आवश्यक कार्यवाही जो भी उचित होगी परीक्षा समिति के निर्णयानुसार की जायेगी।

18. अगर कोई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका साथ लेकर भाग जाता है तो पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट (FIR) पास के थाने में लिखित दे दें तथा उसकी एक प्रति कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को भी भेजें। परीक्षार्थी का नाम, पता तथा अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, तिथि, मीटिंग तथा सम्बन्धित प्रश्न–पत्र का विवरण "FIR" में अवश्य लिखें।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

19. यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन प्रयोग करता हुआ तथा प्रयास करता हुआ पकड़ा जाय तो ऐसे परीक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर प्रश्नों को हल करने एवं परीक्षा देने दिया जाए। उत्तर पुस्तिकाओं पर निम्नवत मुहर लगायी जाए।

(क) अनुचित साधन प्रयोग

(ख) नवीन उत्तर पुस्तिका

केन्द्राध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि प्रपत्र प–3 पर अनुचित साधन का विस्तृत विवरण अंकित तथा प्रमाणित करने का कष्ट करें।

(छ) प्रश्न–पत्र खोलना / वितरण

20. प्रश्न–पत्र के लिफाफे खोलने में अनावश्यक जल्दीबाजी न करें। विषय, प्रश्न–पत्र संकेतांक, तिथि, सत्र मिलाकर संतुष्ट होने पर ही प्रश्न–पत्र पैकेट काटें ताकि भूलचूक की गुंजाइश कदापि न रहे। इस प्रकार प्रश्न–पत्र खोलने से पूर्व भली भाँति सुनिश्चित कर लें कि उसी दिन होने वाला प्रश्न–पत्र खोला जा रहा है।

21. प्रश्न–पत्रों के लिफाफे, परीक्षा भवन के कक्ष में, कम से कम दो परिप्रेक्षकों के समक्ष खोले जाएं। केन्द्राध्यक्ष तथा साक्षी परिप्रेक्षक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर पद के साथ लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर करें। इस बात का ध्यान रखें कि लिफाफे की सील अन्त तक न टूटे।

प्रश्न–पत्र के वितरण के पूर्व लिफाफे के प्रश्न–पत्रों की गिनती करा के देख लें कि उनकी संख्या उतनी ही है जितनी लिफाफे के ऊपर अंकित है तथा प्रश्न पत्र को पढ़ के देख लें कि यह वही प्रश्न–पत्र है। विसंगति मिलने पर सूचित करें।

22. प्रश्न–पत्रों के वितरण होने के बाद परिप्रेक्षकों के माध्यम से निश्चित कर लें कि सभी परीक्षार्थियों को सही प्रश्न–पत्र प्राप्त हो गये हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है।

23. यदि किसी अभ्यर्थी के लिए किन्हीं कारणों से प्रश्न–पत्र कम हो जाये तो उसे प्रश्न–पत्र की सहायता से लिख दिया जाए और जितना समय उस कार्यवाही में नष्ट हो उतना समय अभ्यर्थी को दे दिया जाय। इस कार्यवाही की सूचना तुरन्त दी जाए।

(ज) कक्ष परिप्रेक्षक कार्य

24. कक्ष परिप्रेक्षकों के लिए निर्देश अलग से भेजे जा रहे हैं।

(झ) परीक्षा प्रपत्र प–1, प–2, प–3, प–4, प–5, प–6, प–7, प–8, प–9 का प्रेषण

25. सभी प्रपत्रों को सावधानी से अध्ययन कर लिया जाए और यथा समय उस पर प्रविष्टि अंकित कर पैकेटों के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को परीक्षा समाप्ति की तिथि से एक हफ्ते के अन्दर एक साथ सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तिथियों के अनुसार पंजीकृत डाक से अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए पैकेटों पर प्रपत्र का उल्लेख जरूर कर दिया जाय।

(ट) उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन / पैकेट बनाना / हस्तान्तरण

26. (क) कक्ष परिप्रेक्षक से उत्तर पुस्तिका वापस लेते समय / उत्तर पुस्तिका के पैकेट बनाते समय सावधानी आवश्यक है। <u>प्रत्येक दिन प्रत्येक पाली की परीक्षा समाप्त होते ही उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र करके रोल नम्बर के क्रमानुसार लगा ली जायें।</u>

प्रत्येक प्रश्न–पत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को अलग–अलग पहले कागज में लपेट कर सुतली से बंधवा कर सील करावें तत्पश्चात् लिफाफे में अथवा कपड़े में सिलवाकर पुनः सील

परीक्षा नियंत्रक

करावें और यदि पैकेट छोटे हैं तो **उन्हें क्लाथ लाइन्ड लिफाफे में रखकर सील करावें। पैकेट में प्रपत्र प–6 अवश्य रखें।**

(ख) इस वर्ष प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं (अ) का प्रयोग यथा सम्भव क्रमानुसार करेंगे तथा गत वर्ष प्रेषित सभी पुरानी उत्तर–पुस्तिकाओं को किसी भी कारण से केन्द्र पर न रोका जाय।

(ग) प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका कोरियर व रेलवे पार्सल से न भेजी जाय।

27. परीक्षा समाप्त होने के आधे घण्टे के अन्दर ही समस्त प्रयुक्त लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को उसी दिन सीलबन्द किया जाए।

28. यू०एफ०एम० और यू०सी०ओ० (अण्डर कोर्ट आर्डर) की उत्तर पुस्तिकायें अलग–अलग पैकेट में सील की जायें एवं पैकेट पर तत्सम्बन्धी विवरण अंकित कर विश्वविद्यालय भेजवाया जाये।

29. उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट पर अधोलिखित प्रारूप के विवरण के अतिरिक्त कुछ न लिखा जाय।

परीक्षा केन्द्र का नाम ....

परीक्षा केन्द्र संख्या ....

परीक्षा .... विषय/प्रश्न–पत्र ....

यदि एक संकेतांक में एक ही पैकेट बना है तो उत्तर पुस्तिका सं० के नीचे "केवल एक" अंकित किया जाय यदि एक संकेतांक में दो या अधिक पैकेट बनाये गये हैं तो उत्तर पुस्तिका सं० के नीचे रोमन अंकों में I, II, III आदि लिखा जाय।	दिनांक/सत्र .... संकेतांक.................. उ०पु० संख्या .... पैकेट क्रमांक	यदि पैकेट अनुचित साधन प्रयोग या न्यायालय आदेश का है तो ये शब्द उत्तर पुस्तिका सं० के नीचे अंकित किया जाय।

(ठ) परीक्षा केन्द्र पर अन्तिम दिवस की परीक्षा समाप्त हो जाने पर

30. सम्पूर्ण परीक्षा समाप्त होने पर बचे हुए प्रश्न–पत्र, प्रश्न–पत्रों के लिफाफे, प्रपत्र तथा अन्य परीक्षा सामग्रियाँ डाक द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किये जायें।

31. जाँच–पत्र प–4, प–6, प–7 प्रपत्र एवं शेष सादी उत्तर पुस्तिकाएँ परीक्षा समाप्ति पर क्रमबद्ध करके विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यालय को एक हफ्ते के अन्दर अनिवार्य रूप से अवश्य भेजा जाय। इसके अभाव में परीक्षाफल प्रकाशन बाधित होगा एवं परीक्षा देयक का भुगतान पारित करना सम्भव नहीं होगा।

32. कन्टिजेन्ट व्यय का बिल प्रपत्र–5 पर सभी रसीदों के साथ परीक्षा समाप्त हो जाने पर भेजें। इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रत्येक मद पर कम से कम व्यय हो। प्रत्येक व्यय का मूल भुगतान वाउचर संलग्न होना आवश्यक है। प्रपत्र–8 एवं 9 में केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष परिप्रेक्षकों आदि से सम्बन्धित सभी मूल देयक परीक्षा समाप्ति के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से भेजे।

संशोधित
परीक्षा नियंत्रक

33. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजें।

34. सम्पूर्ण परीक्षा के उपरान्त बची हुई उत्तर पुस्तिकाओं को प्रपत्र प–2 में अंकित करते हुए विश्वविद्यालय को वापस किया जाना है।

35. परीक्षा के सफल एवं समुचित संचालन में जिला प्रशासन/पुलिस की सहायता प्राप्त करें।

36. वास्तविक कन्टिजेन्ट व्यय अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत व्यक्तियों को निम्नलिखित दर से पारिश्रमिक अनुमन्य होगा :—

(1)	केन्द्राध्यक्ष	– रू0 105/– प्रति पाली
(2)	सहायक केन्द्राध्यक्ष	– रू0 100/– प्रति पाली
(3)	कक्ष परिप्रेक्षक	– रू0 90/– प्रति पाली
(4)	परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा संचालन में लगाये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के लिए देय	– रू0 8/– प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी अथवा न्यूनतम रू0 800/– एवं अधिकतम रू0 15000/–
(5)	वाटर मैन	– रू0 15/– प्रति पाली
(6)	स्वच्छता कर्मी	– रू0 15/– प्रति पाली

परीक्षा नियंत्रक

अ. पारीत

परीक्षा नियंत्रक

करते हुए पाये जायें तो उनको दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दण्डित करने की व्यवस्था की जाए।

6 परीक्षा भवन के दरवाजे अथवा गेट में ताला न लगाया जाये तथा उन्हें खुला रखा जाए।

7 केन्द्राध्यक्षों को चाहिये कि वे उन सभी परीक्षार्थियों की एक सूची तैयार कर विश्वविद्यालय को अवश्य भेजें जो किसी अध्यापक / लिपिक / प्राचार्य / प्राचार्या अथवा प्रबन्ध समिति के सदस्य के सम्बन्धी हों और उनके केन्द्र से संस्थागत / व्यक्तिगत रूप से विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहें हों।

सहायक केन्द्राध्यक्ष–

8–परीक्षा कार्य सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु केन्द्राध्यक्ष निम्नलिखित विवरणानुसार एक पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार सहायक केन्द्राध्यक्षों की नियुक्ति कर सकते हैं:

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक	पर	एक
परीक्षार्थी संख्या 100 से 300 तक	पर	दो
परीक्षार्थी संख्या 300 से 500 तक	पर	तीन
परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक	पर	चार अधिकतम।

सहायक केन्द्राध्यक्ष उसी विद्यालय के अध्यापक होने चाहिये, जिन्हें वरिष्ठता के वरीयक्रमानुसार नियुक्त किया जाये।

कक्ष–निरीक्षक / सहायक कक्ष निरीक्षक

9–(क) प्रत्येक 20 छात्रों के लिये एक कक्ष–निरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी परन्तु किसी भी एक कक्ष में दो से कम कक्ष–निरीक्षक नहीं रहेंगे।

(ख) सहायक कक्ष–निरीक्षक को आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है :–

परीक्षार्थी संख्या 001 से 100 तक	पर	एक
परीक्षार्थी संख्या 100 से 300 तक	पर	दो
परीक्षार्थी संख्या 300 से 500 तक	पर	तीन
परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक	पर	चार अधिकतम।

(ग) जिन अध्यापकों की ड्यूटी कक्ष–निरीक्षक के रूप में लगायी जाये उनके पास फोटो युक्त परिचय–पत्र, जिनमें नाम, महाविद्यालय का नाम, पढ़ाये जाने वाले विषय का नाम एवं शैक्षिक योग्यता आदि का पूर्ण विवरण अंकित हो, का होना अनिवार्य है।

(घ) केन्द्राध्यक्षों को चाहिये कि ऐसे अध्यापकों को जो विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित हो रहें हों, कदापि कक्ष–निरीक्षक नियुक्त न करें, चाहें उसके प्रश्नपत्र की परीक्षा समाप्त ही क्यों न हो गयी हो।

आन्तरिक उड़नदस्ते का गठन (आवश्यकता पड़ने पर)–

: आन्तरिक उड़नदस्ता की व्यवस्था निम्नलिखित विवरणानुसार अनुमन्य होगी–

–प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 50 तक पर कोई उड़नदस्ता नहीं होगा।

–प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 51 से 100 तक 01 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय।

–प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 101 से 500 तक के लिये 02 उड़नदस्ता प्रत्येक 02 सदस्यीय।

–प्रति पाली में वास्तविक छात्र संख्या 501 से अधिक होने पर 03 उड़नदस्ता 02 सदस्यीय (अधिकतम) अनुमन्य है।

तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी–

10–(क) परीक्षा कार्य हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार प्रति पाली में पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार लिपिक की नियुक्ति कर सकते हैं :–

परीक्षार्थी संख्या 001 से 150 तक	पर	एक
परीक्षार्थी संख्या 151 से 300 तक	पर	दो

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षार्थी संख्या 500 से अधिक पर तीन

(ख) सफाई कार्य हेतु निम्नलिखित पंजीकृत परीक्षार्थियों के अनुसार दफ्तरी, सफाईकर्मी को नियोजित कर सकते हैं :–

परीक्षार्थी संख्या 001 से 500 तक पर एक

परीक्षार्थी संख्या 501 से 1500 तक पर दो

परीक्षार्थी संख्या 1500 से अधिक पर तीन

(ग) परीक्षा अवधि में 02 जल वाहक प्रति पाली लगाया जाए।

(घ) परीक्षा अवधि में 01 इलेक्ट्रिशियन प्रति पाली लगाया जाए।

(ङ) परीक्षा अवधि में चपरासी 40 पर 01 लगाए जाए।

मार्ग रक्षक निरीक्षक–

11–परीक्षा–केन्द्र से परीक्षोपरान्त सील लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं / ओ.एम.आर. शीट के बण्डल प्रत्येक दशा में उसी दिन ही नोडल सेन्टर में जमा कर दिये जायें। जिन परीक्षा केन्द्रों में नोडल सेन्टर की व्यवस्था नहीं की गयी है वह केन्द्र सील, लिखित उत्तर–पुस्तिकाओं / ओ.एम.आर. शीट के बण्डल प्रत्येक दूसरे दिन विश्वविद्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।

मार्ग रक्षक निरीक्षक की नियुक्ति लिपिक वर्ग में से जहां तक सम्भव हो की जाये। बण्डल वाहक द्वारा विश्वविद्यालय / नोडल सेन्टर ले जाते समय रास्ते में गिर न जाये इसके लिए बण्डल वाहकों को सतर्क कर दिया जाये।

12–केन्द्र पर सुरक्षा कार्य के लिये वहां पर कार्य करने वाले चौकीदार एवं अनुचरों से कार्य लेना चाहिये यदि उसके उपरान्त भी आवश्यकता हो तो पुलिस की सहायता लेनी चाहिये।

13–किसी प्रश्नपत्र के लिये अधिकतम आधा घंटा तक देर से आने वाले परीक्षार्थियों को यदि केन्द्राध्यक्ष उचित समझें तो परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते हैं तथा ऐसे परीक्षार्थियों का विवरण तैयार करना चाहिये, जिसमें परीक्षार्थियों का नाम, अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र और आने का समय होना चाहिये, परन्तु आधे घंटे से अधिक देर से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति कदापि न दी जाये।

14–कक्ष–निरीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस बात की जांच भली भांति कर लें कि प्रत्येक परीक्षार्थी ने अपनी उत्तर–पुस्तिका के आवरण–पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक सही सही (जो उसके प्रवेश–पत्र पर अंकित है) लिखा है इसके लिये परीक्षार्थी को निर्देशित कर देना चाहिये कि वे उत्तर–पुस्तिका जमा करते समय उसके आवरण पृष्ठ पर अपने अनुक्रमांक की जांच कक्ष–निरीक्षक द्वारा अवश्य करा लें। यह अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि, अनुक्रमांक अशुद्ध होने से परीक्षाफल अपूर्ण रह जाते हैं तथा उनको पूर्ण करना कठिन ही नहीं अपितु असम्भव सा हो जाता है, अतः निरीक्षक का ध्यान इस दायित्व की ओर विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

15–कक्ष–निरीक्षकों को चाहिये कि परीक्षा समय की समाप्ति के पांच मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष के द्वार बन्द कर लें और जब तक उत्तर–पुस्तिका का हिसाब न मिल जाये परीक्षार्थी को बाहर न निकलने दें।

16–यदि किसी हाल या बड़े कमरे को अस्थायी रूप से पर्दे या काष्ठ के फट्टों के द्वारा कई भागों में विभक्त कर दिया गया है तो परीक्षा के समय उसे हटा लेना चाहिये, जिससे कम से कम निरीक्षकों की आवश्यकता पड़े।

17–यदि कमरों में श्यामपट्ट दीवार पर लगा हो अथवा पृथक से श्यामपट्ट की व्यवस्था हो तो उसे चिकनी मिट्टी से पोत दिया जाये। निरीक्षकों को निर्देश दे दिया जाये कि प्रत्येक दिन परीक्षा विषय, दिनांक, कुल उपस्थित छात्रों की संख्या तथा कक्ष–निरीक्षकों का नाम परीक्षा कक्ष के बाहर कागज पर अंकित करके दीवार पर चस्पा कर दें।

18–प्रतिदिन परीक्षा आरम्भ होने से पहले कमरे की सफाई कर देनी चाहिये, जिससे कमरे में कोई कागज पड़ा न रह जाये। कमरे में नक्शे, चित्र, ड्राइंग आदि लटके हुए न हों।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा व्यय

3.3 विश्वविद्यालयों के शैक्षिक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए परीक्षा संचालन पारिश्रमिक की दरें :

क्रमांक	मद	दर (रुपये में)
1	2	3
1.	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक	
	(क) कक्ष निरीक्षक	90.00 प्रति पाली
	(ख) सहायक केन्द्राध्यक्ष	100.00 प्रति पाली
	(ग) केन्द्राध्यक्ष	105.00 प्रति पाली
2.	केन्द्र व्यय (सेन्टर चार्जेज)	8/- प्रति परीक्षार्थी न्यूनतम
	(क) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	रु.800 तथा अधिकतम रु. 15000/-
	(ख) वाटर मेन	रु 15/- प्रति पाली
	(ग) सफाई कर्मी	रु. 15/- प्रतिपाली
3.	प्रायोगिक परीक्षा	
	(क) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	23.00
	(ख) प्रयोगशाला परिचर	15.00
4.	उड़नदस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक	
	(क) प्रतिसदस्य (प्रतिदिन आंतरिक)	90.00
	(ख) प्रतिसदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	90.00 तथा वि.वि. के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय
5.	प्रायोगिक परीक्षा	
	(क) स्नातक/बी.एड. (प्रति छात्र)	12.00
	(न्यूनतम में)	450.00
	(ख) स्नातकोत्तर (प्रति छात्र)	18.00
	(न्यूनतम में)	600.00
6.	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	60.00

परीक्षा नियंत्रक

राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की परीक्षा संबंधी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या-306/सत्तर-1-2011-15(32)/81 दिनांक 29 मार्च, 2011 का संलग्नक :-

क्रमांक	मद	वर्तमान दर (रुपये में)	पुनरीक्षित दर (रुपये में)
1	2	3	4
01	परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक		
	(1) कक्ष निरीक्षक	60.00	90.00
	(2) सहायक केन्द्राध्यक्ष	65.00	100.00
	(3) केन्द्राध्यक्ष	70.00	105.00
02	केन्द्र व्यय (सेन्टर-चार्जेज)		
	(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी)	5.00	8.00
03	प्रायोगिक परीक्षा		
	(1) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	15.00	23.00
	(2) प्रयोगशाला परिचर	10.00	15.00
04	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन		
	(1) स्नातक (प्रति पुस्तिका)	10.00	15.00
	(2) परास्नातक (प्रति पुस्तिका)	12.00	18.00
05	प्रश्न पत्र बनाना		
	(1) स्नातक	400.00	600.00
	(2) परास्नातक	600.00	900.00
06	उड़नदस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक		
	(1) प्रति सदस्य (प्रतिदिन आंतरिक)	60.00	90.00
	(2) प्रति सदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	60.00 तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय	90.00 तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय
07	पी०एच०डी०/डी०लिट० की थिसिस पढ़ने व मौखिक परीक्षण		
	(1) पी०एच०डी० (थिसिस पढ़ना)	500.00	750.00
	(2) पी०एच०डी० (मौखिक परीक्षण)	400.00	600.00
	(3) डी०लिट० (थिसिस पढ़ना)	700.00	1050.00
	(4) डी०लिट० (थिसिस मौखिक परीक्षण)	500.00	750.00
08	प्रायोगिक परीक्षा		
	(1) स्नातक/बी०एड० (प्रति छात्र)	8.00	12.00
	(न्यूनतम)	300.00	450.00
	(2) स्नातकोत्तर (प्रतिछात्र)	12.00	18.00
	(न्यूनतम)	400.00	600.00
09	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	40.00	60.00

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

45

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

संलग्नक- 09

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर,शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ" फाफामऊ,

इलाहाबाद

पी0पी0 दुबे
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक उ0मु0वि0/परीक्षा(गो.)/47-95/2015

दिनांक 02--07--2015

सेवा में,

प्राचार्य/समन्वयक,
छत्रधारी महाविद्यालय,
चन्दौली

विषय –परीक्षा जून 2015 की उत्तरपुस्तिका (प्रयुक्त) विलम्ब से प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचित करना है कि सत्रांत परीक्षायें जून 2015 हेतु आपके अध्ययन केन्द्र को परीक्षा केन्द्र बनाया गया था। जैसा कि आप अवगत है कि परीक्षायें दिनॉक 26--05--2015 से प्रारम्भ हुई थी। आपके केन्द्र पर परीक्षायें सम्पन्न कराई गयी, किन्तु स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी आपके केन्द्र द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें विश्वविद्यालय को समयान्तर्गत नहीं भेजी गई। आप द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनॉक 24--06--2015 को प्रेषित प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं के 06 बण्डल विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए है, (बण्डलों पर चस्पा स्पीड पोस्ट रसीद के अनुसार)। अस्तु स्पष्ट है कि प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका प्रेषण सम्बन्धी निर्देशों का आपके परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार की अवहेलना के लिए केन्द्राध्यक्ष के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार है। यह कृत्य निर्देशों का अनुपालन न किया जाना, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक/परिचायक है।

सूच्य है कि जून 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के प्रेषण समयानुसार न किये जाने के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्ट अभिमत प्राप्त कराये, अन्यथा की स्थिति मे अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

भवदीय

डॉ.(पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर,शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ" फाफामऊ,

इलाहाबाद

डॉ.पी.पी. दुबे
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक ओ.यू. / परीक्षा(गो.) / 4834 / 2015

दिनांक 07–07–2015

सेवा में,

प्राचार्य / समन्वयक,
कृष्ण सुदामा संस्थान, कैथी,
वाराणसी।

विषय :- परीक्षा जून 2015 की उत्तरपुस्तिका (प्रयुक्त) विलम्ब से प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक परीक्षा जून 2015 की परीक्षा दिनॉक 26–05–2015 से प्रारम्भ हुई थी, जिसके अनुसार आप द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराई गयी है। प्रश्न–पत्र PGBCH-02 की परीक्षा दिनॉक 24–06–2014 को सम्पन्न हुई है, परन्तु आप द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनॉक 01–07–2015 को प्रेषित उत्तर पुस्तिका(प्रयुक्त) के 01 पैकेट / बण्डल प्राप्त हुए है, (बण्डलों पर चस्पा स्पीड पोस्ट रसीद के अनुसार), अस्तु स्पष्ट है कि प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका प्रेषण सम्बन्धी निर्देशों की अपेक्षा परीक्षा केन्द्र द्वारा सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार की अवहेलना के लिए केन्द्राध्यक्ष के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार है। आप द्वारा की गयी छात्र / छात्राओं के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता का द्योतक / परिचायक है।

सूच्य है कि जून 2015 की प्रयुक्त उत्तर पुस्तिका के प्रेषण समयानुसार न किये जाने के सम्बन्ध में आप एक सप्ताह के अन्दर अपना स्पष्ट अभिमत प्राप्त कराये, अन्यथा की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जा सकती है, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

अनुमोदित
परीक्षा नियंत्रक

o/c

भवदीय

डॉ.(पी.पी.दुबे)
परीक्षा नियंत्रक

अंतग्गक - 10

(04)

सेवा में,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी महोदय,
परीक्षा नियन्त्रक महोदय,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्ती पूरम सेक्टर एफ फाफामऊ इलाहाबाद–211013

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–6 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी आपके कार्यालय से निम्नलिखित प्रश्नो की सूचना चाहता है जिसका अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क के रूप में भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 [illegible] दिनांक 12-02-2015 मूल रूप से प्रेषित किया जा रहा है।

प्रश्न–1 प्रशान्त चौधरी पुत्र हरी लाल चौधरी नि0 ए/520 आवास विकास कालोनी उन्नाव जनपद उन्नाव आपके संस्थान से बी0बी0ए0 का छात्र सत्र 2009, 2010 रहा था जिसका इनरोलमेन्ट नं0– 922661080008 है क्या वह सभी समेस्टरो की परीक्षा मे सामिल रहा था। जिसका परीक्षा केन्द्र सी0टेक टेक्निकल कालेज उन्नाव था।

प्रश्न–2 छात्र प्रशान्त चौधरी को बी0बी0ए0 स्नातक 2013 में जो अंक तालिका उपलब्ध करायी गयी है वह अपूर्ण है और अंक तालिका में बी0बी0ए0 1.1 प्रथम समेस्टर यू0जी0आर0एस0टी0 द्वितीय समेस्टर व बी0बी0ए0 2.1, 2.2,2.3,2.4 द्वितीय समेस्टर व सी0एच0ई0क्यू/ईए चतुर्थ समेस्टर व बी0बी0ए0 5.4 पंचम समेस्टर के अंक अंकतालिका में शमिल नही है इसलिए अंक तालिका अपूर्ण है अपूर्ण अंक तालिका का क्या कारण है।

प्रश्न–3 छात्र प्रशान्त चौधरी द्वारा अपूर्ण अंक तालिका में सभी समेस्टरो के अंको को अंक तालिका मे प्रविष्ट हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ? अंक तालिका की छायाप्रति संलग्न है।

दिनांक - 15-02-2015

प्रार्थी–

विनय मोहन एडवोकेट
पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएसन उन्नाव
कचेहरी कोर्ट कम्पाउण्ड निकट
पुलिस माल खाना उन्नाव
मो0 न0– 7376938009

विनय मोहन एडवोकेट
उन्नाव
रजि0न0–2976/85

सम्प्रेषित
परीक्षा नियंत्रक

03/03
20.2.15
कार्य दिनांक 10/03/15
को प्राप्त 842 10/03/15

49

N (08)
RTI- 476

सेवा में,

श्रीमान परीक्षा नियन्त्रक/जन सूचना अधिकारी,
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय
शान्तिपुरम सैक्टर एफ-फाफामऊ ,इलाहाबाद।

विषय:– सूचना अधिकार अधि0 2005 के साथ अंकतालिका उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना व अंकपत्र उपलब्ध कराये जाये– प्रार्थी ने वी0एस0एस0डी0 कालेज कानपुर से अध्ययन केन्द्र से यू0जी0 एस0टी0-1, यू0 जी0एस0टी0-2, यू0जी0एस0टी0-3 की परीक्षा वी0एस0 एस0डी0 अध्ययन केन्द्र कानपुर से परीक्षा में सम्मिलित होकर दी थी जो वर्ष जून 2013 मे सम्पन्न हुई ।परीक्षाफल आने पर केवल यू0जी0एस0टी0-1 के अंकों की अंकतालिका प्रार्थी को उपलब्ध कराई गयी ।दी गई परीक्षा यू0जी0एस0टी0-2 व यू0जी0एस0टी0-3 के प्राप्त अंकों की अंकतालिका उपलब्ध नही कराई गयी जिससे प्रार्थी के साथ अन्याय हुआ है और प्रार्थी सम्पूर्ण अंकतालिका उपलब्ध न होने के कारण किसी सेवा में आवेदन हेतु आवेदन करने में असमर्थ हो गया है ।प्रार्थी ने वी0एस0एस0डी0 अध्ययन केन्द्र कानपुर में सम्पूर्ण अंकतालिका के लिये आवेदन किया वहां से आख्या सम्पूर्ण अंकों की अंकतालिका न प्राप्त होने की दी गई ।उसके बाद प्रार्थी स्वयं परीक्षा नियन्त्रक के यहां आकर उपस्थित होकर सम्पूर्ण अंक तालिका यू0जी0एस0टी0-2 व यू0जी0एस0टी0-3 के प्राप्त अंको की अंकतालिका प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया 10-10-14 बादहू 14-10-14 को दिया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और न सम्पूर्ण अंकतालिका उपलब्ध हुई। मजबूर होकर प्रार्थी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यू0जी0 एस0टी0-2 व यू0जी0एस0टी0-3के साथ प्राप्त सम्पूर्ण अंकतालिका चाहता है जो उसे अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय ताकि उसका भविष्य अन्धकारमय न हो ।प्राथी आवेदन के साथ पोस्टल आर्डर सूचना प्राप्त करने हेतु व अंक तालिका प्राप्त करने हेतु 10/-, 10/- कीमत के संलग्न कर रहा है और प्रार्थनापत्रों की छायाप्रतियां भी संलग्न कर रहा है।

दिनांक:– 11-11-2014

संलग्नक:–
1– 10रू0का पोस्टलआर्डरसं0सं0– 23F 786925
2– 10रू0का पोस्टलआर्डर सं0– 23F 786924
3– अध्ययनकेन्द्र में दिएगए प्रा0पत्र की छायाप्रति
4– परीक्षा नियन्त्रक को दिएगए प्रा0पत्र की छायाप्रति
5– परीक्षा में उपस्थित पंजिका की छायाप्रति ।
6– अंक पत्र जून 2014 की छायाप्रति

प्रार्थी
Rajeev Kumar Singh
राजीवकुमारसिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह
नामांकन सं0– 220111060008
कोर्स– बी0जी0एस0एस0
निवासी– ग्राम कुशलपुर (Kushal Pur)
पो0 रजीपुर
जनपद फर्रुखाबाद
209724
मो0नं0–8009?150775

परीक्षा नियंत्रक
05/9SD
14-11-14
15-11-14 को प्राप्त
15-11-14

सेवा मे-
परीक्षा नियंत्रक
उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त वि० वि०
इलाहाबाद

विषय- अंकपत्र सुधार AOCOM- सत्रांक - 2010 - 2013

10.06.2013

महोदय -

सविनय निवेदन है कि मै राजू कुमार गुप्ता B.COM-III ENR No - 021141020013 सत्रांक 2010 - 2013 की अंक प्रमाण पत्र मे AOCOM का अंक नहीं चढ़ पाया है अतः आप से सविनय निवेदन है कि मेरी अंक प्रमाण पत्र मे सुधार करने की कृपा करे -

प्रार्थी
राजू कुमार गुप्ता
ENRT NO- 021141020013
केन्द्र- S-/114
कुबेर सुदामा पी०जी० कालेज
मरदाह सादात गाजीपुर
मो नं० 9506468393
2005

OSD EXAM/COE Sir
June-2013

AOCOM —
पूर्ण से अप्राप्त है।

ह० 05050 से अंक सत्यापित कराना

चाहें।

24/03/15

R.T की छाया प्रति संलग्न है।
24/03/015

श्री ईश्वर नाथ जी

24.3.15

संस्तुति
परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम्, (सेक्टर – एफ) फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	21वीं
दिनांक	:	16 नवम्बर 2015
समय	:	अपराह्न 03.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 16 नवम्बर 2015 को अपराह्न 03.00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. प्रो0 एम. पी. दुबे, कुलपति, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	अध्यक्ष
2. प्रो0 एस. पी. गुप्ता, निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
3. डॉ0 एम. एन. सिंह, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
4. डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
5. डॉ0 पी. पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
6. डॉ0 संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
7. परीक्षा नियंत्रक, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. डॉ. टी.एन. दुबे, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रभारी अध्ययन केन्द्र, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	आमंत्रित सदस्य
2. श्री डी.पी. त्रिपाठी, कुलसचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	आमंत्रित सदस्य

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

84,

परीक्षा समिति की 21वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

21.01 परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 के कार्यवृत की पुष्टि।

21.02 परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

21.03 श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा BCA-18 एवं डॉ0 सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार।

21.04 प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित हेने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार ।

21.05 परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानकों) की समीक्षा।

21.06 परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying/Observers की रिर्पोट पर विचार।

21.07 सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।

21.08 भुगतान देयकों के मानक पर विचार।

21.09 BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही परीक्षक से कराने पर विचार।

21.10 प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक ही परीक्षक से कराने पर विचार।

21.11 परीक्षा दिसम्बर–2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।

परीक्षा नियंत्रक

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व मा0 कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुये परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत् किया गया तथा सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ. आर. पी. एस. यादव ने कार्य सूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया:

परीक्षा समिति की 21वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.01

परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 के कार्यवृत की पुष्टि।

दिनांक 08/07/2015 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 08/07/2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.02

परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को बिन्दुवार कार्यवाही से अवगत कराया।

परीक्षा समिति अपनी 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 में लिये गये निर्णयों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई:-

क्रमांक संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिये गये निर्णय	पिछली बैठक के लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
20.01	परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/2013, 03/05/2014, 27/01/2015, 27/02/2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
20.02	परीक्षा समिति की 16वीं नियमित, 17वीं, 18वीं व 19वीं आपातकालीन बैठक क्रमशः दिनांक 26/11/13, 03/05/2014, 27/01/2015, 27/02/2015 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
20.03	विगत सत्र के UFM एवं संवीक्षा के निर्णय से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
20.04	केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (इस वर्ष अपनाई गयी प्रक्रिया एवं आगामी वर्षों हेतु मानकों) की समीक्षा।	(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय। (ii) परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय। (iii) परीक्षा समय सारणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो। (iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

20.05	परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying squad / Observers की रिपोर्ट।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रिपोर्ट पर परीक्षा केन्द्र से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा दोनों पक्षों के पत्र को आगामी परीक्षा समिति में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
20.06	पूर्व परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतें एवं कृत कार्यवाही।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाओं से सम्बन्धित प्राप्त छात्र शिकायतों के आधार पर परीक्षा केन्द्र को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय एवं स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् निर्णयार्थ आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
20.07	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र गोरखपुर के स्तर से अधिन्यासों के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त पणों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय शिकायतों के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित समिति द्वारा संस्तुत अन्तरिम आख्या पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक को Show cause notice दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	तत्कालीन क्षेत्रीय समन्वयक वर्तमान में विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं।
20.08	परीक्षा व्यवस्था (1) परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानक पर पुनर्विचार। (2) आन्तरिक/बाह्य उड़ाका दल सदस्यों के मानदेय की दर में संशोधन पर विचार। (3) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कार्यरत कर्मियों को अतिरिक्त कार्य हेतु मानदेय/वाहन भत्ता।	परीक्षा समिति ने प्रश्न किया कि समस्त बिन्दु 18वीं परीक्षा समिति में भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं पुनः इसे इस परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 18वीं परीक्षा समिति के सापेक्ष समस्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु गठित समिति का Action taken report आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत किया जाय।	गठित समिति का Action taken report प्राप्त न होने के कारण कार्यवाही अपेक्षित है। **परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्तियों हेतु मानकों पर पुनर्विचार करने हेतु कुलसचिव द्वारा comprehensive समिति का गठन किया जाय।**

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

0.09	कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करना।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि "केन्द्र संख्या **एस–230** द्वारा उत्तर पुस्तिका प्रेषण में पूर्ण अवहेलना की गयी है किन्तु **एस–921** द्वारा अन्तिम दिन ही उत्तर पुस्तिकायें देर से भेजी गयी है" को संज्ञान में लेते हुये दोनों परीक्षा केन्द्रों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिया जाय एवं उनके जवाब को आगामी परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।	निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./परीक्षा (गो.)/4795/2015 व ओ.यू./परीक्षा (गो.)/4834/2015 क्रमशः दिनांक 02/07/2015 व 07/07/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्र एस–230 व एस–921 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया जा चुका है **(संलग्नक–01 व 02 पृष्ठ संख्या–05–06)**। जिसके सापेक्ष परीक्षा केन्द्र एस–230 द्वारा अपना जवाब पत्रांकः 009/2015 दिनांक 30/07/2015 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है **(संलग्नक–03 पृष्ठ संख्या–07–08)**। परीक्षा केन्द्र **एस–921** का जवाब अद्यतन अप्राप्त है। **परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि:–** **"परीक्षा केन्द्र एस–230 व एस–921 को आगामी परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।"**
20.10	परीक्षा सत्र जून–2015 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रगति।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
20.11	(i) तीन परीक्षा केन्द्रों S-011 वी.एस.एस.डी. कॉलेज कानपुर, S-114 कृष्ण सुदामा महाविद्यालय, गाजीपुर एवं S-065 डी.एस.एन. कॉलेज, उन्नाव द्वारा प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग को प्रेषित की गई/विश्वविद्यालय के कर्मचारी को प्राप्त कराई गयी परन्तु प्रेषित/प्राप्त करायी गई उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा अनुभाग गोपनीय में उपलब्ध नहीं है। सत्यापित परीक्षा नियंत्रक	(a) जाँच कमेटी अगले पाँच कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँच रिर्पोट प्रस्तुत करे कि इसमें दोषी कौन है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाय। (b) परीक्षार्थियों द्वारा उस परीक्षा सत्र में दिये गये अन्य प्रश्नपत्रों में प्राप्तांकों के आधार पर जिस प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका परीक्षा गोपनीय में उपलब्ध नहीं है उसमें एवरेज मार्किंग कर दी जाय।	(a) आख्या अद्यतन अप्राप्त है। **परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि:–** **जाँच कमेटी अगले 15 कार्य दिवस के अन्दर अपनी जाँच रिर्पोट प्रस्तुत करे।** (b) सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है **(संलग्नक–04 पृष्ठ संख्या–09–11)**।

0.11		(c) परीक्षा समिति की 15वीं बैठक के बिन्दु संख्या 15.02 व 15.08 (iv) पर परीक्षा समिति द्वारा उसी परीक्षा सत्र के अन्य प्रश्नपत्रों में प्राप्तांक के आधार पर औसत अंक प्रदान करने का निर्णय संस्तुत किया गया था। (d) समस्त कार्यवाही एवं आख्या आगामी परीक्षा समिति में भी सूचनार्थ प्रस्तुत हो जाय।	(c) अवगत कराने से सम्बन्धित है। (d) अवगत कराना से सम्बन्धित है।
	(ii) परीक्षा परीणाम CD में Write करा कर अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ Strong room में सुरक्षित रखा जाय।		(ii) कार्यवाही अपेक्षित है।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.03

श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा BCA-18 एवं डॉ0 सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिये जाने के प्रकरण पर विचार।

श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा BCA-18 एवं डॉ0 सुभाष चन्द्र यादव द्वारा PGBCH-01 व 04 प्रश्नपत्र के मूल्यांकन में त्रुटि पाये जाने पर समस्त मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान रोक दिया गया। उक्त परिक्षकों को एक सत्र तक विश्वविद्यालय के मूल्यांकन कार्य से विरत रखते हुये त्रुटियुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की कटौती के पश्चात् शेष मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का भुगतान कर दिया जाय। **(संलग्नक–05 पृष्ठ संख्या–13–14)**

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री मनोज कुमार मिश्रा एवं डॉ0 सुभाष चन्द्र यादव के देयक का भुगतान न किया जाय एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य से विरत रखा जाय।

सम्पादित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.04

प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित हेने के कारण शिक्षार्थियों की परीक्षा छूट जाने के प्रकरण पर विचार।

शिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास जमा करने के बाद भी वैबसाइट में आने वाले व्यावधान के कारण प्रवेश पत्र पर Not Allowed छप जाता है जिसके कारण शिक्षार्थियों को परीक्षा देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है व परीक्षा देने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं होता है। ऐसी स्थिति से निजात पाने हेतु जिस तरह MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास अंक विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों से सीधे मंगाया जाता है उसी तरह अध्ययन केन्द्रों द्वारा अन्य कार्यक्रमों की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकायें स्वयं मूल्यांकित कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक अधिन्यास अंक सीधे On Line उपलब्ध कराने हेतु अध्ययन केन्द्रों को Panel दे दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की व्यवस्था में कोई परिवर्तन कमेटी का गठन करके उसमें लिये गये निर्णय के आधार पर ही किया जाना सम्भव है। MBA, BEd, MCA कार्यक्रम के Project व अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय पर कराया जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.05

परीक्षा केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया (मानकों) की समीक्षा।

परीक्षा समिति की 20वीं बैठक दिनांक 08/07/2015 में परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु लिये गये निर्णय का विवरण निम्नवत है:–

(i) परीक्षा केन्द्र बनाते समय दिशा निर्देश का हर सम्भव पालन किया जाय उसमें कोई विचलन (Deviation) होता है तो वैधानिक समिति (Statutary body) से अनुमोदन कराया जाय।

(ii) नए परीक्षा केन्द्र उन्ही केन्द्रों को बनाया जाय जिनकी छात्र संख्या दिसम्बर सत्र में 60 तथा जून में 150 या अधिक हो। वित्तीय हानि न हो इसका भी ध्यान रखा जाय।

(iii) परीक्षा समय सारणी (Time Table) बनाते समय ध्यान रखा जाय कि एक पाली में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक न हो।

(iv) परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के स्थिति में एक दो दिन के लिये अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र बना दिया जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:–

1. परीक्षा केन्द्र बनाते समय ध्यान रखा जाय कि हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केन्द्र अवश्य हो।
2. छात्राओं की **Safety** व **Security** को ध्यान में रखते हुये छात्राओं के अध्ययन केन्द्र की संख्या यदि 50 हो तो भी स्वविवेकानुसार परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
3. विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में भी परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.06

परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying Squad/Observers की रिर्पोट पर विचार।

परीक्षा सत्र जून–2015 के Flying squad/Observers की रिर्पोट परीक्षा केन्द्रों को आख्या प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./5565/2015 दिनांक 03/09/2015 एवं ओ.यू./5978/2015 दिनांक 30/10/2015 द्वारा परीक्षा केन्द्रों को भेजे गये पत्र के सापेक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा प्रेषित आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त आगामी परीक्षा दिसम्बर–2015 में परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार किया जाय।

सत्रांत परीक्षा दिसम्बर–2015 से **Region change** करके उड़ाका दल के सदस्यों को भेजा जाय **(Varanasi to Gazipur , Gazipur to Varanasi etc.)**।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.07</u>

<u>सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के एकत्रीकरण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पर विचार।</u>

सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का विश्वविद्यालय के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से एकत्रीकरण कराने एवं मूल्यांकन कराने हेतु नोडल केन्द्र बनाने की प्रक्रिया पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले परीक्षा केन्द्रों के सत्रांत परीक्षा की उत्तर पुस्तिकायें क्षेत्रीय केन्द्र पर ही एकत्रित कराने के पश्चात् क्षेत्रीय समन्वयक को नोडल आफिसर बना कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.08

भुगतान देयकों के मानक पर विचार।

विश्वविद्यालय के पूर्व निर्धारित भुगतान देयकों के निम्नलिखित मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार।

राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी कार्यों की पारिश्रमिक दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या-306/सत्तर-1-2011-15(32)/81 दिनांक 29 मार्च, 2011 का संलग्नक :-

क्रमांक	मद	वर्तमान दर (रुपये में)	पुनरीक्षित दर (रुपये में)
1	2	3	4
01	**परीक्षा केन्द्रों का पारिश्रमिक**		
	(1) कक्षा निरीक्षक	60.00	90.00
	(2) सहायक केन्द्राध्यक्ष	65.00	100.00
	(3) केन्द्राध्यक्ष	70.00	105.00
02	**केन्द्र व्यय (सेन्टर-चार्जेज)**		
	(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी)	5.00	8.00
03	**प्रायोगिक परीक्षा**		
	(1) प्रयोगशाला सहायक (प्रतिदिन)	15.00	23.00
	(2) प्रयोगशाला परिचर	10.00	15.00
04	**उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन**		
	(1) स्नातक (प्रति पुस्तिका)	10.00	15.00
	(2) परास्नातक (प्रति पुस्तिका)	12.00	18.00
05	**प्रश्न पत्र बनाना**		
	(1) स्नातक	400.00	600.00
	(2) परास्नातक	600.00	900.00
06	**उड़नदस्ते के सदस्यों का पारिश्रमिक**		
	(1) प्रति सदस्य (प्रतिदिन आंतरिक)	60.00	90.00
	(2) प्रति सदस्य (प्रतिदिन बाहर जाने पर)	60.00 तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय	90.00 तथा विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रासंगिक व्यय
07	**पी०एच०डी०/डी०लिट० की थिसिस पढ़ने व मौखिक परीक्षण**		
	(1) पी०एच०डी० (थिसिस पढ़ना)	500.00	750.00
	(2) पी०एच०डी० (मौखिक परीक्षण)	400.00	600.00
	(3) डी०लिट० (थिसिस पढ़ना)	700.00	1050.00
	(4) डी०लिट० (थिसिस मौखिक परीक्षण)	500.00	750.00
08	**प्रायोगिक परीक्षा**		
	(1) स्नातक/बी०एड० (प्रति छात्र)	8.00	12.00
	(न्यूनतम)	300.00	450.00
	(2) स्नातकोत्तर (प्रतिछात्र)	12.00	18.00
	(न्यूनतम)	400.00	600.00
09	लघु शोध मूल्यांकन (प्रत्येक)	40.00	60.00

(अवनीश कुमार अवस्थी)
सचिव

Generator charge
1 — 50 — 100 प्रति परीक्षा दिवस
51 - 200 — 200 "
201 — 500 — 500 "
501 - 750 — 750 "
751 and above — 1000 " "

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कमेटी का गठन कर मानकों पर पुनरीक्षण हेतु विचार किया जाय।

सभापति
परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.09

BEd कार्यक्रम के अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक ही परीक्षक से कराने पर विचार।

BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र का अधिन्यास प्रश्न पत्र दो भागों में बनवाया तथा दो परीक्षकों से मूल्यांकित कराया जाता है जिसके लिये अधिन्यास प्रश्नपत्र निर्माण व मूल्यांकन हेतु अतिरिक्त पारिश्रमिक भी दिया जाता है और Computer feeding (प्रविष्टि) भी दो बार करानी पड़ती है। जिससे अधिक व्यय के साथ असुविधा भी होती है। अतः यदि कोई तकनीकी प्रतिबन्ध न हो तो BEd कार्यक्रम के एक प्रश्न पत्र के लिये एक ही अधिन्यास प्रश्न पत्र बनवाना व मूल्यांकित कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अधिन्यास मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.10

प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक ही परीक्षक से कराने पर विचार।

प्रोजेक्ट का वाह्य मूल्यांकन दो परीक्षकों से कराकर अंक दो पर्ण में प्राप्त होते हैं जिनका औसत अंक शिक्षार्थीयों को अनुदानित किया जाता है। मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक भी दोगुना किया जाता है। कतिपय कारणो से कभी–कभी एक परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को उत्तीर्ण व दूसरे परीक्षक द्वारा अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है ऐसी स्थिति से बचने हेतु प्रोजेक्ट का एक ही परीक्षक से मूल्यांकन कराना उचित प्रतीत होता है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रोजेक्ट मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्व के समान ही रहेगी।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.11

परीक्षा दिसम्बर–2014 की Not Allowed उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित कराने पर विचार।

परीक्षा दिसम्बर–2014 के कई परिक्षार्थियों द्वारा अधिन्यास समय से अध्ययन केन्द्र पर जमा करने एवं अध्ययन केन्द्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रेषित करने के पश्चात् भी Technical problem व अन्य कारणो से अधिन्यास डेटा में नाम न होने के कारण प्रवेश पत्र में Not Allowed अंकित था तथा परिक्षार्थियों के परीक्षा देने के पश्चात् भी परिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें मूल्यांकित नहीं कराई गयी । छात्र हित में ऐसे परिक्षार्थियों की अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 21.12

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर चर्चा हुयी।

PhD प्रवेश परीक्षा जिस विषय में Supervisor उपलब्ध हैं उन्हीं की करायी जाय एवं विश्वविद्यालय (शांतिपुरम, फाफामऊ) में ही करायी जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जतायी।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ0(आर0 पी0 एस0 यादव)
परीक्षा नियंत्रक

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शान्तिपुरम्, (सेक्टर–एफ), फाफामऊ

इलाहाबाद–211021

सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 22 वीं आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	22 वीं
दिनांक	:	07 सितम्बर, 2016
समय	:	पूर्वाह्न 11:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 07 सितम्बर, 2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की 22 वीं आपातकालीन बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1.	प्रो0 एम.पी. दुबे, कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2.	डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3.	डॉ0 पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4.	डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
5.	डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
6.	डॉ0 श्रुति, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, विज्ञान विद्या शाखा, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7.	डॉ0 मृदुल श्रीवास्तव, परीक्षा नियंत्रक, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सचिव

अनुपस्थिति :–

~~विशेष आमंत्रित सदस्य~~

8.	श्री डी.पी. त्रिपाठी, कुलसचिव, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	आमंत्रित सदस्य

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति की 22 वीं आपताकालीन बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

22.01 सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष अमूल्यांकित अधिन्यास/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.02 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.03 एकल विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.04 परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आन्तरिक उड़ाका दल एवं जनरेटर की व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.05 अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष Award List पर अंक प्राप्त हो जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.06 विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को अलग–अलग वर्षों हेतु एक ही कार्यक्रम के लिये भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिया गया है सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.07 छात्रा सुश्री अर्चना भारती के UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर औसत अंक के निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.08 मूल्यांकन कार्य हेतु नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.09 विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा पूर्व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.10 पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

22.11 परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक

बैठक की कार्यवाही करने से पूर्व मा0 कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गई। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ0 मृदुल श्रीवास्तव ने कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया :

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.01

सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष अमूल्यांकित अधिन्यास/उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

सत्रांत परीक्षा दिसम्बर 2014 के सापेक्ष ऐसे परीक्षार्थी लगभग 1500 जो अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिन्यास कार्य समय के अन्दर अपने अध्ययन केन्द्र पर जमा कर दिये हैं एवं सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र द्वारा अधिन्यास की कापियों को मूल्यांकन कराये जाने हेतु अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर प्रेषित कर दिया गया है, सूच्य है कि पूर्व में मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र का गठन नहीं होने के कारण एवं दो बार अधिन्यास की तिथि बढ़ाये जाने के कारण क्षेत्रीय केन्द्र के सम्बन्धित अध्ययन केन्द्रों द्वारा अधिन्यास जमा करने हेतु असमंजस की स्थिति रही फिर भी मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र पर आयोजित की गई कार्यशाला में आये प्राचार्य/समन्वयकों द्वारा यह बताया गया कि अधिन्यास अन्तिम तिथि के अन्दर क्षेत्रीय केन्द्र पर जमा कर दिये गये थे। इससे सम्बन्धित छात्र–छात्राओं के प्रार्थना पत्रों को भी दिया गया है। जिसके सापेक्ष विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय केन्द्र को एक पत्र प्रेषित है (संलग्नक–01, पृष्ठ संख्या–12–24)।

यदि क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि अधिन्यास समय से प्राप्त हो गये हैं, तो उन प्रकरणों पर छात्रहित में विचार करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों की सत्रांत दिसम्बर 2014 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कराये जाने एवं परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र दिसम्बर 2014 के मेरठ क्षेत्रीय केन्द्र के अतिरिक्त ऐसे समस्त परीक्षार्थियों के जो निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर अपने कार्यक्रम की अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं को जमा किर दिये थे, की जानकारी सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र/क्षेत्रीय केन्द्र से प्राप्त करने एवं उनके मूल्यांकन हो जाने के की पुष्टि के उपरान्त ही उनकी सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाय। यदि किसी परीक्षार्थी की अधिन्यास उत्तर पुस्तिका निर्धारित अन्तिम तिथि के अन्दर जमा होने के उपरान्त भी अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन न हुआ या किसी परीक्षार्थी के द्वारा जमा की गई अधिन्यास उत्तर पुस्तिका के न मिल पाने की स्थिति में साक्ष्य के साथ परीक्षार्थी से पुनः अधिन्यास कार्य पूर्ण कराकर उन्हें सत्रांत उत्तर पुस्तिकाओं के साथ मूल्यांकन कराते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.02

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रथम एंव द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

समस्त परीक्षार्थियों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र विश्वविद्यालय की वेब साइट पर उपलब्ध रहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत अन्तिम वर्ष के अंकपत्र में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों के समस्त विवरण यथा प्रश्न–पत्रों के अंक, अधिन्यास अंक, क्रेडिट, एंव उत्तीर्ण/अनुउत्तीर्ण की स्थिति उपलब्ध रहता है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र निर्माण में व्यर्थ की समय हानि, जन शक्ति इत्यादि का हनन होता है। यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र को निर्गत किया जा सकता है।

शिक्षार्थियों को उनके मात्र अन्तिम वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी में दिए जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परास्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके द्वितीय वर्ष एवं स्नातक कार्यक्रम के शिक्षार्थियों को उनके तृतीय वर्ष के पूर्ण अंक–पत्र की हार्ड कापी उपलब्ध करायी जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी विभाग/संस्था द्वारा रोजगार के परिप्रेक्ष्य में लिखित रुप से अनुरोध किया जाता है तो सम्बन्धित परीक्षार्थी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र की हार्ड कापी को निर्गत किया जा सकता है।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.03

एकल विषय के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी उपाधि निर्गत किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

श्री राज्यपाल सचिवालय से एकल विषय कार्यक्रम के संचालन को अग्रिम निर्णय तक बन्द किये जाने सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त कार्यक्रम के संचालन को बन्द कर दिया गया है, पत्र की छायाप्रति संलग्न (संलग्नक–02, पृष्ठ संख्या–25–26)।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी एकल विषय कार्यक्रम में उतीर्ण हो चुके हैं। उन्हें उपाधि प्रदान करना विश्वविद्यालय का दायित्व है। तमाम परीक्षार्थियों के द्वारा अपने उपाधि हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपाधि प्राप्त करने हेतु समय–समय पर पत्र प्राप्त होता रहता है। पूर्व में लगभग 928 शिक्षार्थियों अनुमोदित प्रारुप पर प्रमाण–पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। अनुमोदित प्रारुप (संलग्नक–03,पृष्ठ संख्या–27–28) पर उपलब्ध है।

वर्तमान में सत्र 2013–14 तक लगभग 35000 शिक्षार्थी जो एकल विषय में उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें अनुमोदित प्रारुप पर उनकी उपाधि को निर्गत किये जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एकल विषय के ऐसे लगभग 35000 समस्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रारुप में उपाधि के स्थान पर प्रमाण–पत्र व Degree के स्थान पर Certificate को संशोधित करते हुए एवं सम्बन्धित परीक्षार्थियों से उनके स्नातक कार्यक्रम को पूर्ण करने के साक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त ही निर्गत करने की सहमति दी।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.04

परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर की व्यवस्था किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर आन्तरिक उड़ाका दल एंव जनरेटर उपयोग से सम्बन्धित देयकों में भुगतान सम्बन्धी प्रकरण सामने आते रहते हैं। सूच्य है कि विभिन्न परीक्षाओं में पालीवार परीक्षार्थियों की संख्या कम होने पर भी आन्तरिक उड़ाका दल के भुगतान हेतु प्रकरण सामने आते रहते हैं। जबकि संख्या कम होने की स्थिति में आन्तरिक उड़ाका दल की आवयश्कता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार जनरेटर का उपयोग सम्पूर्ण परीक्षा के दौरान दिखाया जाता है जबकि वस्तुस्थिति में जनरेटर का उपयोग यदाकदा ही किया जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा केन्द्रों पर पालीवार कम से कम 100 परीक्षार्थियों के होने पर ही आन्तरिक उड़ाका दल को भेजे जाने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत एवं परीक्षा केन्द्रों पर जनरेटर की व्यवस्था में प्रस्तुत बिल के साथ लाग–सीट एवं डीजल रशीद दिये जाने पर ही भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी परीक्षाओं हेतु आन्तरिक उड़ाका दल के स्थान पर Inter Centre प्रक्रिया के तहत इस कार्य को कराया जाय एवं उनसे सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के केन्द्र व्यवस्थापक/प्राचार्य द्वारा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्तुत किया जाय। ऐसे प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षकों के द्वारा भी प्रस्तुत किये जायें। परीक्षा समिति ने जनरेटर की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रकरण पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिल के साथ पर्याप्त प्रमाण यथा जनरेटर होने का प्रमाण एवं लागसीट प्रस्तुत किये जायें।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.05

अमूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के सापेक्ष Award List पर अंक प्राप्त हो जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

कानपुर क्षेत्रीय केन्द्र के अन्तर्गत बनाये गये मूल्यांकन केन्द्र के नोडल अधिकारी द्वारा दिसम्बर–2015 परीक्षा के सापेक्ष छात्रा आरजू कटियार की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन कराये बिना उनके सत्रांत परीक्षा के Award List पर अंक प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में छात्रा आरजू कटियार नामांकन संख्या 310101010003 के प्रकरण में यह दृष्टिगत हुआ है कि छात्रा ने सभी परीक्षाएं दी हैं जिससे सम्बन्धित P7 प्रमाण के रुप में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में नोडल मूल्यांकन प्रभारी को सम्बन्धित प्रकरण पर अपनी आख्या देने के साथ कि उक्त परीक्षकों से भविष्य में मूल्यांकन न कराया जाय सम्बन्धी चेतावनी पत्र निर्गत किया गया। (नोडल मूल्यांकन प्रभारी को प्रेषित पत्र, Award List एवं उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेजों तथा केन्द्र समन्वयक का पत्र, छात्रा का उपस्थिति प्रपत्र की छाया–प्रतियां संलग्नक–04, पृष्ठ संख्या–29–39)।

छात्रा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करा दिया गया है। उक्त छात्रा आरजू कटियार के परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने हेतु प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय एवं सम्बन्धित परीक्षकों के भुगतान को रोक दिया जाय यदि भुगतान हो गया हो तो विश्वविद्यालय नियमानुसार उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाय। ऐसे परीक्षको को आगामी परीक्षाओं हेतु रोक लगाते हुए भविष्य में इनसें किसी भी प्रकार के मूल्यांकन का कार्य न कराया जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.06

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को अलग–अलग वर्षों हेतु एक ही कार्यक्रम के लिये भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिया गया है, से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र भगवानदीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखीमपुर–खीरी (एस–478) के कतिपय शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग–अलग वर्षों हेतु भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या आवांटित कर दिये जाने के कारण उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किये जाने में कठिनाई हो रही है (संलग्नक–05, पृष्ठ संख्या–40) । इस सम्बन्ध में प्रवेश अनुभाग द्वारा प्राप्त आख्या के उपरान्त भी समस्या आ रही है।

ऐसे समस्त शिक्षार्थियों को उनके कार्यक्रम हेतु प्रवेश अनुभाग द्वारा ऐसे नामांकन संख्या को आवांटित कर दिया जाय जो किसी भी अन्य शिक्षार्थी को आवांटित न हो एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए नामांकन प्राप्ति के उपरान्त उनके परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे शिक्षार्थियों के नामांकन हेतु प्रवेश प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालते हुए शिक्षार्थियों के परीक्षाफल को घोषित कर दें।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.07

छात्रा सुश्री अर्चना भारती के UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर औसत अंक के निर्धारण से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार

सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका संख्या 31641/2016 के छात्रा अर्चना भारती की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका न हीं विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में किये गये पत्राचार से सम्बन्धित समस्त पत्राजात (संलग्नक–06, पृष्ठ संख्या–41–58) पर उपलब्ध है। सुश्री अर्चना भारती द्वारा दायर याचिका के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि छात्रा की UGST-05 की उत्तर पुस्तिका पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लेते हुए परीक्षाफल घोषित किया जायं। मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश के अनुपालन हेतु चार सप्ताह का समय दिया है (आदेश की छायाप्रति संलग्नक–07, पृष्ठ संख्या–59) पर उपलब्ध है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में छात्रा को उनके अन्य प्रश्न–पत्रों में प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र हेतु औसत अंक देते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा अर्चना भारती के अन्य प्रश्न–पत्रों से प्राप्त अंक के आधार पर UGST-05 प्रश्न–पत्र में औसत अंक प्रदान करने के पूर्व छात्रा के हस्ताक्षर का मिलान अन्य प्रश्न–पत्रों की उपस्थिति प्रपत्र (P-7) से भी कराते हुए छात्रा का परीक्षाफल घोषित किया जाय।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.08

मूल्यांकन कार्य हेतु नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने सम्बन्धी प्रथा को समाप्त किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

मूल्यांकन कार्य हेतु पूर्व में नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की प्रथा रही है। जिसके परिप्रेक्ष्य में उनको निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान भी किया जाता है। चूंकि क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा अपने सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को मंगाने एवं उनके मूल्यांकन हेतु अनुमोदित परीक्षकों से मूल्यांकन कराये जाने से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। नोडल मूल्यांकन प्रभारी द्वारा मूल्यांकन कराये जाने में अधिक समय लगता है एवं क्षेत्रीय निदेशक और मूल्यांकन प्रभारी को उत्तर पुस्तिकाओं के लेने देने एवं अन्य समस्याओं के कारण परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब होता है।

अतः नोडल मूल्यांकन प्रभारी बनाये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उपरोक्त कार्य क्षेत्रीय निदेशकों के देखरेख में कराये जाने एवं क्षेत्रीय निदेशकों को निर्धारित मानक के अनुसार भुगतान सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे प्रकरणों में तत्समय जैसी आवश्यकता हो परीक्षा नियंत्रक अपने विवेकानुसार निर्णय लेते हुए कार्य को सम्पादित करायें।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.09

विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा पूर्व शपथ–पत्र लेने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु बनाये गये परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व परीक्षा की सुचिता, नकल विहिन परीक्षा, परीक्षार्थियों की सुविधा इत्यादि से सम्बन्धित एक शपथ पत्र (संलग्नक–08, पृष्ठ संख्या–60) रु. 10/– के नान जुडिस्यिल स्टाम्प पेपर पर लेने सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे परीक्षा केन्द्रों में जो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय हों उन्हीं से शपथ–पत्र लिया जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.10

पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं में पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कई कर्मचारियों को देर तक रुककर काम करना पड़ता है। कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को उनके पद के अनुरुप पारिश्रमिक दिये जाने की आवयश्कता प्रतीत होती है

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जानी वाली परीक्षाओं हेतु पूर्व परीक्षा एवं परीक्षा के दौरान कार्यालय अवधि के अतिरिक्त कार्य करने वाले परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों को निम्नानुसार मानदेय प्रस्तावित किया जाता है :–

1. तृतीय श्रेणी रु. 20/– प्रति अतिरिक्त घंटा
2. कुशल श्रमिक रु. 15/– प्रति अतिरिक्त घंटा
3. अकुशल श्रमिक रु. 10/– प्रति अतिरिक्त घंटा

परन्तु एक माह में अधिकतम रु. 2000/– तृतीय श्रेणी, रु. 1500/– कुशल श्रमिक एवं रु. 1000/– अकुशल श्रमिक को विभागाध्यक्ष की संस्तुति के उपरान्त भुगतान किए जाने से सम्बन्धी प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 22.11

परीक्षा गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामर्शदाताओं एवं कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था हेतु भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय की परीक्षा में गोपनीय कार्य हेतु यात्रा पर जाने वाले शिक्षकों, परामशदाताओं एवं कर्मचारियों को कई स्थानों पर ठहरने हेतु उनकी अपनी व्यवस्था न होने के कारण अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसमें उनका अपना व्यय होता है। जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है। अतः नियमानुसार भुगतान किए जाने को प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

1. A श्रेणी के शहर हेतु रु. 700/–
2. B श्रेणी के शहर हेतु रु. 600/–
3. C श्रेणी के शहर हेतु रु. 500/–

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय नियमानुसार जो यात्रा व्यय दिया जाता है उसी के अन्तर्गत भुगतान किया जाय। यात्रा की व्यवस्था में जहाँ तक सम्भव हो यात्रा हेतु प्रातः प्रस्थान कराया जाय एवं ऐसे किसी भी प्रकार के भुगतान के स्थान पर पूर्व की भाँति व्यवस्था ही अपनाई जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)

फाफामऊ इलाहाबाद–211021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	23 वीं
दिनांक	:	11 अक्टूबर 2017
समय	:	अपराह्न 03.30 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23.04

एकल विषय में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि/प्रमाणपत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार।

एकल विषय उत्तीर्ण छात्रों के सम्बन्ध में अभी तक के निर्णय के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि शिक्षार्थी से ग्रेजुएशन की अंकतालिका प्राप्त करते हुए उन्हें एकल विषय का प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाय। इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने की अर्हता स्नातक उत्तीर्ण है। पूर्व निर्णय के अनुसार छात्र ने जिस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किया है उसका प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही एकल विषय में प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने की संस्तुति की गई थी। परन्तु लगभग ऐसे 35,000 शिक्षार्थियों से साक्ष्य प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है तथा ये अव्यवहारिक भी है जिसके कारण इसका निष्पादन सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में उचित होगा की सभी एकल विषय उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को प्रमाण–पत्र निर्गत कर दिया जाय। यदि किसी छात्र द्वारा बिना स्नातक किए इस कार्यक्रम में प्रवेश लिया गया होगा तो इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में आने पर उसकी अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी स्नातक अंक–तालिका व पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ स्वयं उपस्थित होता है तो उसे एकल विषय का प्रमाण–पत्र दे दिया जाए।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 23.05

वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित प्रकरणों पर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

प्रायः विभिन्न संस्थाओं के द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों के अंक–पत्र/प्रमाण–पत्र के सत्यापन तथा ट्रान्सक्रिप्ट बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त होते रहते हैं। जिसको सम्पन्न करने में विश्वविद्यालय का धन व समय दोनों व्यय होता है। ऐसे में उचित होगा कि अब तक निःशुल्क रूप में सम्पन्न किए जा रहे इन कार्यों हेतु शुल्क निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्तावित शुल्क

वेरीफिकेशन हेतु–	300/– रूपया
ट्रान्सक्रिप्ट हेतु–	500/– रूपया

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट हेतु प्रस्तावित शुल्क रू0 500/– पर सहमति जताई।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक - 8

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम, (सेक्टर एफ) फाफामऊ

इलाहाबाद – 211013

सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्।।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	16
दिनांक	:	26 नवम्बर 2013
समय	:	पूर्वाह्न 11.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय की सत्रान्त परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग एवं तत्सम्बन्धी व्यवस्था पर विचार।

वर्तमान में स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जा रहा है परीक्षाओं में अनियमितता रोकने व सुचिता को ध्यान में रखते हुये परीक्षाओं में सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं के प्रयोग पर विचार आवश्यक है।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुये संस्तुति की जिसका विवरण निम्नवत है:

1. **अबतक उपलब्ध स्टेपल की हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय उसके पश्चात सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का ही प्रयोग किया जाय।**

2. **सिली हुई उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने के परीक्षा सत्र से "ब" उत्तर पुस्तिका का प्रयोग बन्द कर दिया जाय एवं इसका उल्लेख प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय कि परीक्षा में केवल "अ" उत्तर पुस्तिकायें दी जायेगी कोई अनुपूरक उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी।**

3. **"अ" उत्तर पुस्तिका में ही कुल 4 अतिरिक्त पृष्ठ जोड दिये जाय।**

कार्यसूची बिन्दु संख्या 16.12

एक परीक्षक द्वारा सामान्य स्थिति में प्रतिदिन मुल्याकंन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के निर्धारण पर विचार।

परीक्षकों द्वारा प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या निर्धारण करना आवश्यक प्रतीत होता है जिससे मूल्यांकन की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी।

परीक्षा समिति ने प्रकरण पर विचार किया।

विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मूल्यांकन करने हेतु प्रतिदिन अधिकतम 50 पी. जी. कार्यक्रम या अधिकतम 75 यू. जी. कार्यक्रम की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन करने हेतु इस शर्त पर दी जाय कि परीक्षक कम से कम छः घण्टे रुक कर मुल्यांकन करे। परीक्षा समिति द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम एक परीक्षा सत्र में यू. जी. कार्यक्रम की कुल अधिकतम 500 व पी. जी. कार्यक्रम की अधिकतम 400 उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु देने की संस्तुति की गयी।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परीक्षा दिसम्बर 2017 में अनुचित साधन (UFM) के आरोपित अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में निर्णय निम्नवत है–

क. सं.	छात्र का नाम	नामांकन संख्या	पेपर कोड	निर्णय
1	श्री बृजेश कुमार यादव	71380223002333	PGBCH-09	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
2	सुश्री लक्की रानी	71051201001507	MASY-02	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
3	सुश्री अंशू त्रिपाठी	72051202017923	BLIS-02-N	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
4	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	72872986018478	DYS-03	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
5	सुश्री पूजा यादव	72374986024330	DYS-03	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
6	श्री रमाशंकर यादव	72037202002170	BLIS-04	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
7	सुश्री जूली कुमारी	71296202001165	BLISS-04	वर्तमान परीक्षा सत्र की पूरी परीक्षा निरस्त।
	श्री मुदित कुमार गुप्ता	720051009020009	PGDYO-03	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
	श्री शुभम वर्मा	52120105000436	BCA-E10	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।
	सुश्री कंचन कुमारी पाल	72690986001927	DYS-03	सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त तथा अगले तीन वर्ष के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, परीक्षा में बैठने से निरर्हित कर दिया जाय।
	सुश्री वर्षा सिंह	62168703005076	MCA-13	सम्बन्धित प्रश्न–पत्र निरस्त।

सत्यापित

परीक्षा निदेशक

(परीक्षा नियंत्रक)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)

फाफामऊ इलाहाबाद–211021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	25वीं
दिनांक	:	03 अप्रैल 2018
समय	:	अपराह्न 3.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

परीक्षा नियंत्रक

211021

सी.वू./ परीक्षा/ 4812 /2018 दिनांक: 21/4/2018

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 03 अप्रैल 2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 25वीं बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तः

भवदीय,

डॉ0 (जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

1 प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2 डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3 डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4 डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5 डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6 प्रो0 (डॉ0) जी.एस. शुक्ला, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7 प्रो0 एच.एस. उपाध्याय, दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद।
8 डॉ0 इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
9 डॉ0 जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

सत्यापित
परीक्षा नियंत्रक

डॉ0 (जी0के0 द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 03 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न
परीक्षा समिति की 25वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 के.एन. सिंह, — अध्यक्ष
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. डॉ0 पी.पी. दूबे, — सदस्य
निदेशक,
कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

3. डॉ0 आर.पी.एस. यादव, — सदस्य
निदेशक,
मानविकी विद्या शाखा
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला.

4. डॉ0 आशुतोष गुप्ता, — सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

5. प्रो0 (डॉ0) जी.एस. शुक्ला, — सदस्य
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

6. डॉ0 इति तिवारी, — सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला.

7. डॉ0 जी.के. द्विवेदी, — सचिव
परीक्षा नियंत्रक, एसोसिएट प्रोफेसर
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

परीक्षा नियंत्रक

8. डॉ0 सुखराम मथुरिया, — आमंत्रित सदस्य
उप कुलसचिव (परीक्षा),
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला0

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. डॉ0 ओमजी गुप्ता,
   निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. प्रो0 एच.एस. उपाध्याय,
   दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद
   विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति की 25वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

25.01 विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर **Average** अंक प्रदान कराने पर विचार।

25.02 परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।

25.03 कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति **UG** प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज़ एवं **PG** प्रथम व सेमेस्टर वाइज़ की अंकतालिका शिक्षार्थियों को रू0 200/– शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।

25.04 बी0एड0 व विशिष्ट बी0 एड0 का एक ही अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनवाने पर विचार।

25.05 जून–2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू 9,30,000/– में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

25.06 सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस–806 (गुरू फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है।

25.07 सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थि जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न–पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न–पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।

25.08 जुलाई–2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाऐं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।

25.09 दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से **OMR** आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।

25.10 राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून–2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।

25.11 पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वाहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ0 जी.के. द्विवेदी ने कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया।

परीक्षा समिति की 25वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्यबिन्दु

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.01

विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।

कतिपय कारणो से शिक्षार्थियों के अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा के अंक अंकतालिका में अंकित होने से छूट गये हैं। अतः शिक्षार्थियों के विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) को कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समिति के सदस्य डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा एवं डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा होंगे। समिति की अनुशंसा पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाय। इस प्रकार के प्रकरण हेतु प्रत्येक शनिवार को गठित समिति की बैठक कराई जाय तथा समिति की संस्तुति के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय व प्रमाण सुरक्षित रखा जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.02

परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।

सत्रांत परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने पर विचार

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्रांत परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, बरेली व मेरठ को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जाय। किसी भी क्षेत्रीय मूल्यांकन केन्द्र हेतु पर्यवेक्षक एवं नोडल प्रभारी की नियुक्ति मा0 कुलपति जी के स्तर से की जायेगी।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.03

कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति **UG** प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज़ एवं **PG** प्रथम व सेमेस्टर वाइज की अंकतालिका शिक्षार्थियों को रू0 200/– शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।

पूर्व में शिक्षार्थियों को कार्यक्रम अनुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत की जाती थी परन्तु वर्ष 2016 से तत्समय कुलपति जी के आदेशानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की कार्यक्रम अनुसार अपूर्ण अंकतालिका निर्गत करना रोक दिया गया था। शिक्षार्थियों द्वारा बार–बार प्रथम, द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर वाइज़ अंकतालिका प्रदान करने की मांग प्रस्तुत की जा रही है। अतः कार्यक्रमानुसार प्रथम, द्वितीय वर्ष व सेमेस्टर वाइज अंकतालिका रू0 200/– शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थियों की मांग पर रू0 200/– प्रति अंकपत्र शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में कार्यक्रमानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.04

बी0एड0 व विशिष्ट बी0 एड0 का एक ही अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनवाने पर विचार।

कार्यक्रम बी0एड0 व विशिष्ट बी0 एड0 का दो अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनता है तथा विश्वविद्यालय पर अधिक व्ययभार आता है। शिक्षार्थियों को भी दो उत्तर पुस्तिकाऐं लिख कर जमा करनी होती है जिसमें कई बार शिक्षार्थी की एक ही उत्तर पुस्तिका का अंक उपलब्ध हो पाने के कारण पूर्ण परीक्षा परिणाम घोषित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः अधिन्यास मूल्यांकन में अन्य कार्यक्रमों की भांति प्रति प्रश्नपत्र एक अधिन्यास प्रश्नपत्र निर्माण पर विचार।

संलग्नक – 01 पृष्ठ संख्या –

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की अनुशंसा एवं परीक्षा परीणाम की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विद्या शाखा को इस आशय का पत्र कुलसचिव जी के माध्यम से प्रेषित किया जाय कि अन्य कार्यक्रमों के समान ही B.Ed एवं B.Ed (SE) कार्यक्रमों में भी एक ही अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनाया जाना उपयुक्त होगा।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.05

जून 2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू.9,30,000/– में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून–2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू0 9,30,000/– में विक्रय कर दिया गया है। सूचनार्थ प्रस्तुत।

संलग्नक – 02 पृष्ठ संख्या –

परीक्षा नियंत्रक

प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून–2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू0 9,30,000/– में विक्रय कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.06

सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस–806 (गुरू फूलचन्द पी जी. कॉलेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है।

संलग्नक – 03   पृष्ठ संख्या –

सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) एवं एस–806 (गुरू फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के जिन परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक में था उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.07

सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थि जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न–पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न–पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसकी सूचना अध्ययन केन्द्र के पैनल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर **upload** कराया जाय तथा जिस प्रश्नपत्र के उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति नहीं है उस प्रश्नपत्र का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए शेष को घोषित कर दिया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.08

जुलाई–2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाऐं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाऐं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी–2018 सत्र से ही कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के **website** पर भी **upload** किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.09

दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से **OMR** आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।

दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से **OMR** आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.10

राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून–2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।

जून–2018 सत्र के परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा परीक्षा केन्द्र निर्धारण समिति का गठन किया जायेगा। राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में समिति की अनुशंसा पर परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण का कार्य किया जायेगा।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.11

पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी द्वारा जिस सत्रांत **(Term End)** में परीक्षा दी गई है उसी सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 25.12

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर चर्चा हुई।

विश्वविद्यालय में कर्मचारी कल्याण निधि **(Employee Welfare Fund)** शुरू करने के सम्बन्ध में कुलसचिव जी द्वारा चर्चा की गई तथा प्रस्ताव दिया गया कि अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये परामर्श देयक के भुगतान में से 3 प्रतिशत **(3%)** कटौती करते हुए धनराशि कर्मचारी कल्याण निधि **(Employee Welfare Fund)** में जमा किया जाय।

समिति ने मा0 कुलपति जी के सहमति के आधार पर निर्णय लिया कि इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही कुलसचिव के माध्यम से पूर्ण कराई जाय।

परीक्षा नियंत्रक

डॉ0 जी0के0 द्विवेदी
(परीक्षा नियंत्रक)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अधिन्यास (Assignment)

बी. एड. विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम अधिन्यास

B.Ed. SE Programme Assignment

विषय	: बी. एड. विशिष्ट शिक्षा	विषय कोड	: 002
Subject	: B. Ed. SE	**Subject Code**	: 002
कोर्स शीर्षक	: मानव वृद्धि एवं विकास	कोर्स कोड	: बी. एड. एस.इ.– 01/01
Course Title	: **Human Growth and Development**	**Course Code**	: B. Ed. SE -01/01

अधिकतम अंक : 30

Maximum Marks : 30

निर्देश **(Instructions)-**

1. Answer all question
   सभी प्रश्नो का उत्तर दीजिये।
2. Question Nos 1 to 9 are long answer question.Answer any three questions Each answer should be given in 800 to 1000 words.
   प्रश्न संख्या 1 से 9 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखना है।
3. Question Nos **10 to 27** are short answer question. Answer any **six** questions. Each answer should be given in 200 to 300 words.
   प्रश्न संख्या 10 से 27 लघु उत्तरी प्रश्न है। किन्ही छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 200 से 300 शब्दो में लिखना है।
4. The Last date of submission of assignment at the study center is 25-09-2017
   अध्ययन केन्द्र पर इस अधिन्यास को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-09-2017 है।
5. Answere the question in Hindi or in English in your own handwriting on prescribed assignment copy.
   प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी मेंस्पष्ट हस्तलिखित लेख में निर्धारित अधिन्यास पुस्तिका पर प्रस्तुत करना होगा।

Section-A
खण्ड–अ

अधिकतम अंक : 18

Maximum Marks : 18

1	What do you understand Human Growth and Development? State its characteristics. मानव वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते है ? इसकी विशेषताये बताइये।	6
2	Describe various Stages of Human Development. मानव विकास की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।	6
3	Memtion the duration of cycle and movement of Physical Development. शारीरिक विकास चको की अवधि व विकास की गति का उल्लेख कीजिए।	6
4	Discuss various stage of Intellectual Development. विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास का विवेचन कीजिए।	6
5	Describe the Cognitive Development theory of Piaget. पियाजे के सज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।	6
6	Describe Freud's Psycho Analytic theory of personality Development. फायड का व्यक्तित्व विकास का मनोविश्लेषण सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।	6
7	Describe various stage of development According to Steiner. स्टाइनर के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।	6
8	Through light on Waldorf curriculum of schools. वॉल्डॉर्फ विद्यालयों के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए।	6
9	Describe Bronfenbrenner's Bio-Ecological theory of Development. फॉनबेनर के जैव पारिस्थितिक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।	6

परीक्षा नियंत्रक

Section B
खण्ड–बी

अधिकतम अंक : 12
Maximum Marks : 12

10	What do you understand Human Growth? मानव वृद्धि से आप क्या समझते है?	2
11	Give one definition of Human Development. मानव विकास की एक परिभाषा दीजिये।	2
12	Write two differences between Human Growth and Development. मानव वृद्धि व विकास में दो अन्तर लिखिए।	2
13	State the important stages of Human development. मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं बताइये।	2
14	Describe important character of childhood. बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताए बताइये।	2
15	What is Adolescence? किशोरावस्था किसे कहते है?	2
16	Write Physical characteristic of adolescence. किशोरावस्था के शारीरिक लक्षण लिखिए।	2
17	Which ability includes in Mental Development? मानसिक विकास के अंतर्गत कौन–कौन सी क्षमतायें आती है?	2
18	In which stage language development developed. भाषा विकास किन अवस्थाओं में होता है?	2
19	State the Characteristcs of Piaget's Cognitive development theory. पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धान्त की विशेषताए बताइये।	2
20	Write name of Cognitive Development approaches of Vygotsky. बाइगोत्सकी के संज्ञानात्मक विकास के उपगामों के नाम बताइये।	2
21	What is means of Scayffolding? स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है ?	2
22	How Learning process develop according to Bandura? बैण्डुरा के अनुसार अधिगम कैसे होता है?	2
23	How many types of Ideal stimulus ? आर्दश उद्दीपक कितने तरह के होते है?	2
24	How many stages of development According to Erikson's ? एरिक्सन के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाय है?	2
25	How many stages of personality Development According to Freud. फॉयड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्था लिखिए।	2
26	What do you understand PPCT ? पी. पी. सी. टी. से आप क्या समझतें है?	2
27	What is theory of Instinct? मूलप्रवृत्ति सिद्धान्त क्या ह?	2

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

अधिन्यास (Assignment)
बी. एड. विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम अधिन्यास
B.Ed. SE Programme Assignment

विषय	: बी. एड. विशिष्ट शिक्षा	विषय कोड	: 002
Subject	: B. Ed. SE	**Subject Code**	: 002
कोर्स शीर्षक	: मानव वृद्धि एवं विकास	कोर्स कोड	: बी. एड. एस.इ. 01/02
Course Title	: **Human Growth and Development**	**Course Code**	: B. Ed. SE -01/02

अधिकतम अंक : 30
Maximum Marks : 30

निर्देश **(Instructions)-**

1. Answer all question
   सभी प्रश्नो का उत्तर दीजिये।
2. Question Nos 1 to 9 are long answer question.Answer any three questions Each answer should be given in 800 to 1000 words.
   प्रश्न संख्या 1 से 9 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्ही तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखना है।
3. Question Nos **10** to **27** are short answer question. Answer any **six** questions. Each answer should be given in 200 to 300 words.
   प्रश्न संख्या 10 से 27 लघु उत्तरी प्रश्न है। किन्ही छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 200 से 300 शब्दो में लिखना है।
4. The Last date of submission of assignment at the study center is 25-09-2017
   अध्ययन केन्द्र पर इस अधिन्यास को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 25-09-2017 है।
5. Answere the question in Hindi or in English in your own handwriting on prescribed assignment copy.
   प्रश्नों का उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी मेंस्पष्ट हस्तलिखित लेख में निर्धारित अधिन्यास पुस्तिका पर प्रस्तुत करना होगा।

Section-A
खण्ड–अ

अधिकतम अंक : 18
Maximum Marks : 18

1 Describe Fetus stage.
गर्भस्थ शिशु की अवस्था का वर्णन कीजिए। 6

2 Light focus the characteristic of Neonate.
नवजात शिशु की विशेषताओं पर प्रकाश डालियें। 6

3 Describe Embryonic stage.
भ्रूणावस्था का वर्णन करें । 6

4 What is meaning of Milestones in reference to human development.
मानव विकास के संदर्भ में मील के पत्थर का क्या अर्थ है? 6

5 Describe Fine Motor skill Development.
सूक्ष्म गतिपरक विकास का वर्णन कीजिए। 6

परीक्षा नियंत्रक

6 Describe Age-wise Developmental milestones.
आयु के अनुसार विकास में मील के पत्थर का वर्णन कीजिए। 6

7 What are you understand Environment? Which type school Environment effected child Development explains it.? 6
वातावरण से आप क्या समझते हैं? विद्यालयी वातावरण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है वर्णन कीजिए।

8 Describe characteristic development of child from childhood to aldoscent.
शैशवावस्था से किशोरवस्था तक बालक के चरित्रिक विकास का वर्णन कीजिए। 6

9 What do you understand by Adulthood? Write their characteristics.
प्रौढ़ावस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताए लिखिए। 6

Section B
खण्ड–ब

अधिकतम अंक : 12
Maximum Marks : 12

10	Write Short Notes on Ovun stage. भ्रूणावस्था पर टिप्पणी लिखों	2
11	What is meaning of Milestone in reference to Development? विकास के संदर्भ में माइलस्टोन का क्या अर्थ है?	2
12	In which field Milestones are related? माइलस्टोन किन क्षेत्रों से सम्बन्धित है?	2
13	What is Environment? वातावरण क्या है?	2
14	How many types of Environment? write name. वातावरण कितने प्रकार के होते है? नाम लिखिए।	2
15	How many type of divided External Environment? बाह्य वातावरण को कितने प्रकारों में बाँटा जा सकता है?	2
16	What is Juverile Delinquency? बाल अपराधी किसे कहते ह?	2
17	Write meaning of crativity. सृजनात्मकता का अर्थ लिखों।	2
18	Write characteristics of Criativity. सृजनात्मकता की विशेषताए लिखिए।	2
19	What is puberty? Write their two characteristics. तरूणा अवस्था क्या है ? दो विशेषताएं लिखिए।	2
20	Write problem related to puberty. तरूणावस्था से संम्बन्धित समस्यायें लिखिए।	2
21	Write characteristic of Heriditory. आनुवांशिकता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।	2
22	Write concept of self. स्व की अवधारणा लिखिए।	2
23	Differences between self and self-concept. स्व एवं स्व–प्रत्यय में अन्तर कीजिए।	2
24	What do you understand by Identify Crisis? पहचान संकट से आप क्या समझतें है?	2
25	What is Transiion into Adulthood? प्रौढावस्था का संकमणकाल क्या है?	2
26	Write role of Family and society in transition into Adulthood. प्रोढावस्था के संकमणकाल में परिवार व समाज का भूमिका लिखिए।	2
27	What is Life skill Edveation? जीवन कौशल शिक्षा क्या है?	2

परीक्षा नियंत्रक

Section B
खण्ड–ब

अधिकतम अंक : 12
Maximum Marks : 12

10 Write Short Notes on Ovun stage. 2
भ्रूणावस्था पर टिप्पणी लिखों

11 What is meaning of Milestone in reference to Development? 2
विकास के संदर्भ में माइलस्टोन का क्या अर्थ है?

12 In which field Milestones are related? 2
माइलस्टोन किन क्षेत्रों से सम्बन्धित है?

13 What is Environment? 2
वातावरण क्या है?

14 How many types of Environment? write name. 2
वातावरण कितने प्रकार के होते है? नाम लिखिए।

15 How many type of divided External Environment? 2
बाह्य वातावरण को कितने प्रकारों में बाँटा जा सकता है?

16 What is Juverile Delinquency? 2
बाल अपराधी किसे कहते ह?

17 Write meaning of crativity. 2
सृजनात्मकता का अर्थ लिखों।

18 Write characteristics of Criativity. 2
सृजनात्मकता की विशेषताए लिखिए।

19 What is puberty? Write their two characteristics. 2
तरूणा अवस्था क्या है ? दो विशेषताएं लिखिए।

20 Write problem related to puberty. 2
तरूणावस्था से संम्बन्धित समस्यायें लिखिए।

21 Write characteristic of Heriditory. 2
आनुवांशिकता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए।

22 Write concept of self. 2
स्व की अवधारणा लिखिए।

23 Differences between self and self-concept. 2
स्व एवं स्व–प्रत्यय में अन्तर कीजिए।

24 What do you understand by Identify Crisis? 2
पहचान संकट से आप क्या समझतें है?

25 What is Transiion into Adulthood? 2
प्रौढावस्था का संकमणकाल क्या है?

26 Write role of Family and society in transition into Adulthood. 2
प्रोढावस्था के संकमणकाल में परिवार व समाज का भूमिका लिखिए।

27 What is Life skill Edveation? 2
जीवन कौशल शिक्षा क्या है?

परीक्षा नियंत्रक

[illegible]

सम्पन्न हुई जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं / अधिन्यास पुस्तिकाओं / प्रोजेक्ट को, उनके परीक्षा फल घोषित होने के तीन माह उपरान्त नष्ट कर दिए जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत करते हुए संस्तुति प्रदान किया था। पृष्ठ 3/1 पर परीक्षा नियन्त्रक ने अपनी टीप में वर्णित किया है कि उक्त कार्यपरिषद की अवधि व्यतीत हुए 03 वर्ष से अधिक हो गये हैं पुनः नवीन नियम बनाने के लिए लिखा है।

पृष्ठ 3/4 के अंश 'क' पर मा० कुलपति जी से प्राप्त अनुमति के क्रम में अवगत कराना है कि सत्र 2009-10 से 2014-15 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाएं अधिन्यास तथा प्रोजेक्ट आदि के निष्प्रयोज्य करने के एवं विवादित प्रकरणों को संरक्षित किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि 09 वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं में से विवादित प्रकरणों को छांटना कठिन कार्य है।

उक्त के क्रम में परीक्षा विभाग द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के निष्प्रयोज्य किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यदि ऐसा विवादित प्रकरण संज्ञान में आते हैं जिसमें परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित है उसकी पुष्टि [illegible] से उपस्थिति से मिलान के उपरान्त अन्य प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों के प्रश्न योग से औसत अंक निकालने का निर्णय प्रश्न पत्र में अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं को निष्प्रयोज्य किया जाना उचित होगा।

परीक्षा विभाग के उक्त प्रस्ताव पर सहमति की दशा में अनुमोदन करते हुए मा० कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करने के [illegible] प्रस्ताव को परीक्षा समिति विद्यापरिषद तथा कार्यपरिषद से भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

स्वीकृत

परीक्षा नियंत्रक

22/6/17

कृपया उक्त टीप के अंशांक से सहमत होते हुए अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

22/6/2017

कुलसचिव

कुलपति

23/6/17

मा० कुलपति जी

COE

23/6/17

श्री S.K. Dubey

24/6/17.

COE

पत्रावली को विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के अनुमोदन हेतु कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।

अवलोकित

परीक्षा नियंत्रक

कुलसचिव जी

Ashw
1/7/17

प्रशा.प्रशा.-I
1/7/2017

1/7/17
परीक्षा नियंत्रक

COE
24/7/17
कुलसचिव

कृपया विक्रय धनराशी का विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परीक्षा समिति को अवगत कराया जा सके।

3/5/18

3/5/18

कुलसचिव जी

परीक्षा विभाग की उपरोक्त टीप के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नि-प्रयोज्य उत्तर पुस्तिका जिनकी बिक्री की गयी उसकी धनराशि - 930000/- (नौ लाख तीस हजार) है।

कृपया उक्त अवगत होना चाहें।

03/05/2018

03/5/18

Dr. S.K. Dubey

3/5/18

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

[illegible] परीक्षा परिणाम रोक देने का आदेश [illegible] था।
केन्द्र द्वारा P 7 उपलब्ध करा दिया गया है।
उचित होगा कि आगामी परीक्षा में उन्हें परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय एवं शिक्षार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव के हेतु मा० कुलपति जी से अनुमति प्राप्त करने हेतु आदेश प्राप्त करना चाहें।

[signature] 19/2/18

प०(०) पूर्णी-I

[signature] 19/2/18

कुलसचिव जी

परीक्षा नियंत्रक जी उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया उक्त प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुमोदनार्थ प्रेषित।

[signature] 19/2/18

[signature] 22.2.18
मा० कुलपति जी

समक्ष
[signature]
परीक्षा नियंत्रक

[signature] 19/2/18

Dr. Sudhir
श्री कमलेश को अवगत कराये कि P-7 के According विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं प्रथम दृष्टया रखवाते हुए [illegible] विद्यार्थी के ही result Declaration की प्रक्रिया पूर्ण कराएं जो P-7 के According Present हों।

[illegible] [signature] 22/2/18

प्रविष्टि कर [illegible]

कोडेड कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रस्तुत है

26/03/18

Smt Ritu

परीक्षा परिणाम घोषित करें।

26/3/18

Smt Ritu

क्रमांक S-833 एवं S-806 के परीक्षा परिणाम परीक्षा समिति के निर्देशानुसार घोषित कर दिए गये हैं। तत्काल सूचना उपलब्ध कराये जिससे आज 3:00 pm पर परीक्षा समिति की बैठक में मा० सदस्यों एवं मा० कुलपति जी को अवगत कराया जा सके।

3/5/18

COE,

उपरोक्तानुसार S806 तथा S833 परीक्षा केन्द्र के समस्त परिणाम घोषित कर दिया गया है।

Dubey

3/5/18

3/5/18

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)

फाफामऊ इलाहाबाद–211021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	26वीं
दिनांक	:	05 जून 2018
समय	:	अपराह्न 4.00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

डॉ (जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद
211021
0532–2447038

पत्रांक : ओ.यू. / परीक्षा / 5050(20) / 2018

दिनांकः 06 / 6 / 2018

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 05 जून 2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 26वीं बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तः

भवदीय,

डॉ0 (जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

1 प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2 डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3 डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4 डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5 डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6 प्रो0 (डॉ0) जी.एस. शुक्ला, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7 प्रो0 एच.एस. उपाध्याय, दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद।
8 डॉ0 इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
9 डॉ0 जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

परीक्षा नियंत्रक

डॉ0 (जी0के0 द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 05 जून, 2018 को अपराह्न 4:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	अध्यक्ष
2. डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
3. डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
4. डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला.	सदस्य
5. डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सदस्य
6. प्रो0 (डॉ0) जी.एस. शुक्ला, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	सदस्य
7. डॉ0 इति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला.	सदस्य
8. डॉ0 जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	सचिव

परीक्षा नियंत्रक

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो० एच.एस. उपाध्याय,
   दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद
   विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति की 26वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

26.01 परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

26.02 परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

26.03 सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

26.04 परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

26.05 सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित करने पर विचार।

26.06 विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए प्रति कॉपी रु 2/– न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

26.07 उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

26.08 परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।

26.09 परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

26.10 सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।

26.11 परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

26.12 परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वाहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ0 जी.के. द्विवेदी ने कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया।

परीक्षा समिति की 26वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्यबिन्दु

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.01

परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 03 अप्रैल 2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 25वीं बैठक का कार्यवृत्त **संलग्नक–01 पृष्ठ संख्या** .... पर उपलब्ध है। कार्यवृत्त सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली नियमित 25वीं बैठक दिनांक 03 अप्रैल 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.02

परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को कार्यवृत्त के बिन्दुवार कार्यवाही से अवगत कराया।

परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक 25वीं दिनांक 03 अप्रैल 2018 में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गए निर्णय	पिछली बैठक के लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही
25.01	विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक (अधिन्यास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर। Average अंक प्रदान कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समिति के सदस्य डॉ0 पी. पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा एवं डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा होंगे। समिति की अनुशंसा पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाय। इस प्रकार के प्रकरण हेतु प्रत्येक सेमेस्टर को गठित समिति की बैठक कराई जाय तथा समिति की संस्तुति के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय व प्रमाण सुरक्षित रखा जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परीक्षा नियंत्रक

25.02	परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्रांत परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, बरेली व मेरठ को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जाय। किसी भी क्षेत्रीय मूल्यांकन केन्द्र हेतु पर्ययवेक्षक एवं नोडल प्रभारी की नियुक्ति मा0 कुलपति जी के स्तर से की जायेगी।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
25.03	कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति UG प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज़ एवं PG प्रथम व सेमेस्टर वाइज़ की अंकतालिका शिक्षार्थियों को रू0 200/– शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थियों की मांग पर रू0 200/– प्रति अंकपत्र शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में कार्यक्रमानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
25.04	बी0एड0 व विशिष्ट बी0 एड0 का एक ही अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनवाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की अनुशंसा एवं परीक्षा परीणाम की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विद्या शाखा को इस आशय का पत्र कुलसचिव जी के माध्यम से प्रेषित किया जाय कि अन्य कार्यक्रमों के समान ही B.Ed एवं B.Ed (SE) कार्यक्रमों में भी एक ही अधिन्यास प्रश्न–पत्र बनाया जाना उपयुक्त होगा।	सम्बन्धित कार्यवाही अपेक्षित है।
25.05	जून–2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू 9,30,000/– में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।	प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून–2010 से दिसम्बर–2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रू0 9,30,000/– में विक्रय कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।	अवगत कराने से सम्बन्धित है।
25.06	सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस–806 (गुरू फूलचन्द पी.जी. कालेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है।	सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) एवं एस–806 (गुरू फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के जिन परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक में था उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई।	अवगत कराने से सम्बन्धित है।

परीक्षा नियंत्रक

25.07	सत्रांत परीक्षा जून–2017 परीक्षा केन्द्र एस–833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थि जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न–पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न–पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसकी सूचना अध्ययन केन्द्र के पैनल एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर upload कराया जाय तथा जिस प्रश्नपत्र के उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति नहीं है उस प्रश्नपत्र का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए शेष को घोषित कर दिया जाय।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
25.08	जुलाई–2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाऐं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाऐं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी–2018 सत्र से ही कराई जायेगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
25.09	दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से दिसम्बर–2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की।	कार्यवाही अपेक्षित है।
25.10	राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून–2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा0 कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
25.11	पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी द्वारा जिस सत्रांत (Term End) में परीक्षा दी गई है उसी सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान किया जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.03

सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

प्रायः परीक्षा की तैयारी के दृष्टिगत परीक्षा से पूर्व, दौरान तथा उपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित करने हेतु अवकाश के दिन भी कार्यालय खोलना पड़ता है परन्तु एक माह अन्दर प्रतिकर लेने की बाध्यता के कारण कर्मचारी अवकाश नहीं ले पाते हैं। अतः प्रतिकर लेने हेतु निर्धारित अवधि एक माह से बढ़ाकर तीन माह करने अथवा अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक भुगतान का प्रावधान हो उसे लागु करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.04

परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

शिक्षार्थियों द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष परीक्षा विभाग द्वारा रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है। बिन्दु सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/– एवं 300/– से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.05

सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए प्रश्न–पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित करने पर विचार।

वर्तमान समय में अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी अपने अंकपत्र में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जबकि सूचना विवरणिका में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षार्थी परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण का निस्तारण 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण करा लें अन्यथा की दशा में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु अधिक मात्रा में पुराने शिक्षार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर अंकतालिका में संशोधन हेतु आवेदन कर रहे हैं। जिससे विश्वविद्यालय के कर्मियों का अधिकांश समय उसमें लग रहा है। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु उचित होगा कि यदि प्रकरण सत्र 2016 से पूर्व का है तो प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित कर दिया जाय जिससे एक ही शिक्षार्थी द्वारा कई बार आवेदन न दिया जाय व उसका प्रकरण निस्तारित हो सके। बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– लिया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.06

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/– प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिन कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को अधिकृत किया जाता है उन्हें कार्यालय अवधि से पूर्व/पश्चात कार्य करना पड़ता है। मूल्यांकन कार्य की प्रकृति तथा समय–बद्धता के कारण उन्हें अवकाश के दिनों में भी कार्य करना होता है साथ ही वे अपने पूर्व में निर्धारित/आवंटित कार्यों को भी सम्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में उचित होगा कि इन कर्मचारियों को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/– प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– अलग से निर्धारित कर दिया जाए। प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/– प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.07

उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :–

कॉपी संख्या	मानदेय
25,000 तक	रू0 05,000/–
25,001 से 50,000 तक	रू0 10,000/–
50,000 से अधिक	रू0 15,000/– यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.08

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। बिन्दु समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में UFM कमेटी के निर्णय की पुष्टि की।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.09

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा सत्र दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। बिन्दु समिति कि समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति दिसम्बर–2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.10

सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की 23वीं बैठक के बिन्दु संख्या 23.05 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/– लिया जा रहा था परन्तु सरकारी संस्थाओं द्वारा शुल्क लिये जाने पर आपत्ति जताई गई है। अतः सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन तथा ट्रान्सक्रिप्ट हेतु शुल्क लिया जाय अथवा नहीं। प्रकरण पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।

संलग्नक – पृष्ठ संख्या

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.11

परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर विचार करने हेतु बिन्दु परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की।

Hकान्ते

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची बिन्दु संख्या 26.12

परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

संलग्नक –   पृष्ठ संख्या

परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

डॉ0 जी0के0 द्विवेदी
(परीक्षा नियंत्रक)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम् (सेक्टर–एफ)

फाफामऊ इलाहाबाद–211021

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
की परीक्षा समिति के बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	27वीं
दिनांक	:	12 जुलाई, 2018
समय	:	पूर्वाह्न 10.30 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष

सभापति

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

डॉ.(जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"
फाफामऊ, इलाहाबाद
211021
0532–2447038

पत्रांक : ओ.यू. / परीक्षा / 5256 / 2018 दिनाकः 12 / 7 / 2018

आदरणीय महोदय,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की दिनांक 12 जुलाई, 2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 27वीं बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तः

भवदीय,

डॉ0 (जी.के. द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

1 प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2 डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3 डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4 डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
5 डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
6 प्रो0 (डॉ0) जी.एस. शुक्ला, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
7 प्रो0 एच.एस. उपाध्याय, दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद।
8 डॉ0 जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

डॉ0 (जी0के0 द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

दिनांक 12 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 10:30 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न
परीक्षा समिति की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 के.एन. सिंह, — अध्यक्ष
कुलपति,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

2. डॉ0 ओमजी गुप्ता, — सदस्य
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

3. डॉ0 पी.पी. दूबे, — सदस्य
निदेशक,
कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

4. डॉ0 आर.पी.एस. यादव, — सदस्य
निदेशक,
मानविकी विद्या शाखा
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इला.

5. डॉ0 आशुतोष गुप्ता, — सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

6. डॉ0 जी.के. द्विवेदी, — सचिव
परीक्षा नियंत्रक, असिस्टेंट प्रोफेसर,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

परीक्षा नियंत्रक

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

1. प्रो० एच.एस. उपाध्याय,
   दर्शन शास्त्र विभाग, इलाहाबाद
   विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, सदस्य, विद्या परिषद

2. प्रो० (डॉ०) जी.एस. शुक्ला,
   निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा,
   उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 12 जुलाई, 2018 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमेटी कक्ष में होने वाली परीक्षा समिति की
27वीं बैठक की कार्यसूची

27.01 परीक्षा समिति की 26वी. बैठक दिनांक 05 जून, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि। (पृष्ठ संख्या ....)

27.02 परीक्षा समिति की 26वी. बैठक दिनांक 05 जून, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना। (पृष्ठ संख्या ....)

27.03 डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

27.04 निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course)

पेपर नं0	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ Title of the Course	क्रेडिट
001	**UGFHS** (यू.जी.एफ.एच.एस.)	मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम **Foundation course in Humanities and Social Science**	4
002	**UGFST** (यू.जी.एफ.एस.टी.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Science and Technology**	4
004	**UGFEG** (यू.जी.एफ.ई.जी.)	अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in English**	4
005	**UGFHD** (यू.जी.एफ.एच.डी.)	हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Hindi**	4
006	**AOCED** (ए.ओ.सी.ई.डी.)	निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण **Export Procedure and Documentation**	4
007	**AOCHE** (ए.ओ.सी.एच.ई.)	मनव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम **Application Oriented Course in Human Environment**	4
008	**AOCMK** (ए.ओ.सी.एम.के.	विपणन **Marketing**	4

परीक्षा नियंत्रक

009	**AOCNC** (ए.ओ.सी.एन.सी.)	समुदाय और पोशण में आधार पाठ्यक्रम **Application Oriented Course in Nutrition for the Community**	4
270	**SWM** (एस.डब्लू.एम.)	ठोस अपषिश्ट का प्रबन्धन **Solid waste Management**	4
010	**AOCOM** (ए.ओ.सी.ओ.एम.)	कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन **Office Organization and Mnagement**	4
011	**AOCSP** (ए.ओ.सी.एस.पी.)	सचिवीय कार्यपद्धति **Secretarial Practice**	8
2501	**DM** (डी.एम.)	आपदा प्रबन्ध में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Disaster Management**	4

27.05 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्र पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा क से परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती है। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निम भी अलग–अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

27.06 योगा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो र शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

<u>योग कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि</u>

योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम
योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम
योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रव

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वाहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की गई। इसके उपरान्त अध्यक्ष की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ0 जी.के. द्विवेदी ने कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया।

परीक्षा समिति की 27वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्यबिन्दु

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.01

परीक्षा समिति की 26वीं. बैठक दिनांक 05 जून, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 05 जून, 2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक–01 पृष्ठ संख्या .... पर उपलब्ध है। कार्यवृत्त सम्मानित सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली नियमित 26वीं बैठक दिनांक 05 जून, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.02

परीक्षा समिति की 26वी. बैठक दिनांक 05 जून, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को कार्यवृत्त के बिन्दुवार कार्यवाही से अवगत कराया।

परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक 26वीं दिनांक 05 जून, 2018 में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई तथा परीक्षा समिति द्वारा बिन्दु संख्या 26.03, 26.05, 26.06 एवं 26.07 में लिये गये पूर्व निर्णय के संशोधनोपरान्त पुनः निर्णय संस्तुत किया गया :–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गए निर्णय	पिछली बैठक के लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही
26.01	परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
26.02	परीक्षा समिति की 25वी. बैठक दिनांक 03 अप्रैल, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चूकी है।
26.03	सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ0 आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कुलसचिव को कमेटी गठित करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय। परीक्षा नियंत्रक

26.04	परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु रू0 500/– एवं 300/– का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क रू0 500/– एवं 300/– से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.05	सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– निर्धारित करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– लिया जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की Website पर सूचना Upload कर दिया जाय कि 31 जुलाई, 2018 के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/– लिया जायेगा।
26.06	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/– प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/– प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/– अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक का वितरण 50 – 50 प्रतिशत के अनुपात में किया जाय।
26.07	उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/– तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :- कॉपी संख्या — मानदेय 25,000 तक — रू0 05,000/– 25,001 से 50,000 तक — रू0 10,000/– 50,000 से अधिक — रू0 15,000/– यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परीक्षा नियंत्रक
26.08	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में UFM कमेटी के निर्णय की पुष्टि की।	अवगत कराने से सम्बन्धित है।
26.09	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई।	अवगत कराने से सम्बन्धित है।
26.10	सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा0 कुलपति जी के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है। शुल्क पूर्व की भाँति लिए जा रहे हैं।

26.11	परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून–2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
26.12	परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून–2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई।	अवगत कराने से सम्बन्धित है।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.03

डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने **(Old student's)** शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.04

निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने **(Old student's)**, शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

परीक्षा नियंत्रक

वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम **(Elective Foundation Course)**

पेपर नं0	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ **Title of the Course**	क्रेडिट
001	**UGFHS** (यू.जी.एफ.एच.एस.)	मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम **Foundation course in Humanities and Social Science**	4
002	**UGFST** (यू.जी.एफ.एस.टी.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Science and Technology**	4

004	UGFEG (यू.जी.एफ.ई.जी.)	अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in English**	4
005	UGFHD (यू.जी.एफ.एच.डी.)	हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Hindi**	4
006	AOCED (ए.ओ.सी.ई.डी.)	निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण **Export Procedure and Documentation**	4
007	AOCHE (ए.ओ.सी.एच.ई.)	मनव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम **Application Oriented Course in Human Environment**	4
008	AOCMK (ए.ओ.सी.एम.के.	विपणन **Marketing**	4
009	AOCNC (ए.ओ.सी.एन.सी.)	समुदाय और पोशण में आधार पाठ्यक्रम **Application Oriented Course in Nutrition for the Community**	4
270	SWM (एस.डब्लू.एम.)	ठोस अपषिश्ट का प्रबन्धन **Solid waste Management**	4
010	AOCOM (ए.ओ.सी.ओ.एम.)	कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन **Office Organization and Mnagement**	4
011	AOCSP (ए.ओ.सी.एस.पी.)	सचिवीय कार्यपद्वति **Secretarial Practice**	8
2501	DM (डी.एम.)	आपदा प्रबन्ध में आधार पाठ्यक्रम **Foundation Course in Disaster Management**	4

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति द्वारा वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.05

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम की प्रकिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निर्माण भी अलग–अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समान पाठ्यक्रम वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग–अलग कराया जाए।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.06

योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो और शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर भी विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने **(Old student's)** शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

योग कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि

योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी की सुविधानुसार संख्या एवं अभिगम्यता के आधार पर प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो सत्र (दो घण्टे) का होगा। प्रथम सत्र में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे प्राणायाम, व्यायाम, आसन इत्यादि तथा द्वितीय सत्र बौद्धिक प्रशिक्षण जो व्याख्यान पर पर आधारित होगा। बौद्धिक प्रशिक्षण के लिये 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 27.07

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दु पर चर्चा हुई

परीक्षा की गोपनीयता, सुचिता एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्किाओं का प्रयोग करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी संत्रान्त परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

सभापति

परीक्षा नियंत्रक

डॉ0 (जी0के0 द्विवेदी)
परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, शान्तिपुरम्, सेक्टर "एफ"

फाफामऊ, प्रयागराज 211021 0532–2447038

डॉ.जी.के. द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांकः ओ0यू0/परीक्षा/184 /2019 दिनांकः 04/06/2019

सूचना

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज की दिनांक 10 मई 2019 को परीक्षा समिति की सम्पन्न 28वीं बैठक का कार्यवृत्त आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नक :– उक्तनुसार।

भवदीय

डॉ. जी.के. द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

1. प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
3. डॉ0 पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
4. डॉ0 आर.पी. एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
5. डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
6. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. प्रो. सुधाँशु त्रिपाठी, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
8. डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
9. श्री सुनील कुमार, असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

डॉ. जी.के. द्विवेदी
परीक्षा नियंत्रक

सत्यापित

उपकुलसचिव परीक्षा नियंत्रक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

<u>दिनांक 10 मई 2019 को अपराह्न 4:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न परीक्षा समिति की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त</u>

उपस्थिति :

1.	प्रो0 के.एन. सिंह, कुलपति, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	अध्यक्ष
2.	डॉ0 ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
3.	डॉ0 आर.पी. एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
4.	डॉ0 आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
5.	प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
6.	प्रो. सुधाँशु त्रिपाठी, निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
7.	डॉ. संतोषा कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य
8.	डॉ0 जी.के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।	सदस्य / सचिव

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

<u>निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :</u>

1. डॉ0 पी.पी. दूबे, — सदस्य
   निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
   उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
2. श्री सुनील कुमार, — सदस्य
   असिस्टेण्ट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति की 28 वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

28.01 परीक्षा समिति की 27 वीं बैठक दिनांक 12/07/2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि। **(पृष्ठ संख्या–01)**

28.02 परीक्षा समिति की 27 वीं बैठक दिनांक 12/07/2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना। **(पृष्ठ संख्या–01–03)**

28.03 बी.एड. एव बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) हेतु कन्टीजेन्सी/मानदेय एवं पारिश्रमिक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार। **(पृष्ठ संख्या–03–04)**

28.04 विश्वविद्यालय द्वारा विगत सत्र से 34 कार्यक्रमों के विभिन्न प्रश्न–पत्रों हेतु OMR आधारित परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही है। परीक्षकों द्वारा प्रति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण हेतु दिये जाने वाले दर पर विचार। **(पृष्ठ संख्या–04)**

28.05 मूल्यांकन कार्य हेतु जिस प्रकार मानदेय निर्धारित है, उसी आधार पर गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी मानदेय देने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार। **(पृष्ठ संख्या–05)**

28.06 विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से विश्वविद्यालय मुख्यालय को प्राप्त लिखित उत्तर पुस्तिका की प्रश्न पत्रवार पैकटिंग इत्यादि हेतु कार्यरत कर्मचारियों के लिये पारिश्रमिक निर्धारण किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार। **(पृष्ठ संख्या–05)**

अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य बिन्दु पर विचार।

परीक्षा नियंत्रक

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन करते हुए परीक्षा समिति के सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया गया तथा उनके द्वारा सहयोग की अपेक्षा की गयी। इसके उपरान्त अध्यक्ष के अनुमति से परीक्षा नियंत्रक डॉ. जी.के. द्विवेदी ने कार्यसूची के अनुसार बिन्दुवार चर्चा को आगे बढ़ाया।

परीक्षा समिति की 28 वीं बैठक हेतु प्रस्तावित कार्य बिन्दु

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.01

परीक्षा समिति की 27 वीं बैठक दिनांक 12/07/2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 12/07/2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक का कार्यवृत सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

परीक्षा समिति ने अपनी पिछली नियमित 27वीं बैठक दिनांक 12 जुलाई 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.02

परीक्षा समिति की 27 वीं बैठक दिनांक 12/07/2018 में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति को कार्यवृत्त के बिन्दुवार कार्यवाही से अवगत कराया।

परीक्षा समिति अपनी पिछली बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2018 में लिये गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई:–

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक के लिए गए निर्णय	पिछली बैठक के लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही
27.01	परीक्षा समिति की 26वी. बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी	कोई कार्यवाही अपेक्षित नही
27.02	परीक्षा समिति की 26वी. बैठक दिनांक 12 जुलाई, 2018 में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चूकी है।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

27.03	डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old Student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चूकी है।
27.04	निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old Student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।	परीक्षा समिति द्वारा वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चूकी है।

पेपर नं०	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/Title of the Course	क्रेडिट
001	UGFHS (यूजीएफएचएस)	Foundation Course in Humanities and Social Science मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम	4
002	UGFST (यूजीएफएसटी)	Foundation Course in Science and Technology विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम	4
004	UGFEG (यूजीएफईजी)	Foundation Course in English अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम	4
005	UGFHD (यूजीएफएचडी)	Foundation Course in Hindi हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम	4
006	AOCED (एओसीईडी)	Export Procedure and Documentation निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण	4
007	AOCHE (एओसीएचई)	Application Oriented Course in Human Environment मानव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम	4
008	AOCMK (एओसीएमके)	Marketing विपणन	4
009	AOCNC/CCCN-01/DHEN-01/DCDN-05 (एओसीएनसी)	Application oriented Course in Nutrition for the Community समुदाय और पोषण में आधार पाठ्यक्रम	4
2701	SWM (एसडब्लूएम)	Solid waste Management ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन	4
010	AOCOM (एओसीओएम)	Office Organization and Management कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन	4
011	AOCSP (एओसीएसपी)	Secretarial Practice सचिवीय कार्यपद्धति	8
2501	DM (डीएम)	Foundation Course in Disaster Management	4
2700	UGFODL	Foundation Course in Open and Distance Education मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में आधार पाठ्यक्रम	Non Credit
012	CHEQ/EA	Foundation Course in Environment Awareness पर्यावरण सम्बन्धी योग्यता प्रदायी अनिवार्य पाठ्यक्रम	Non Credit
003	UGFIT	Foundation Course in Information Technology सूचना प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम	Non Credit
2704	BLISF-01	योगासन	Non Credit
2705	BLISF-02	प्राणायाम	Non Credit
2706	BLISF-03	परिवार शिक्षा के मूल तत्व	Non Credit
2707	BLISF-04	शराब, मादक द्रव्य एवं एच० आई० वी०	Non Credit
2931	MLIS-09E1	स्वरोजगार कार्यक्रम	Non Credit
2932	MLIS-09E2	आप और आपका आहार	Non Credit

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

2937	MLIS-12E1/CHFE-01	एच० आई० वी०/ एड्स के मूल तत्व	Non Credit		
2938	MLIS-12E2/CHFE-06	एच० आई० वी० में संचार एवं परामर्श	Non Credit		
9001	PGDYO-01 (N/O)	योग के आधारभूत तत्व	4		
9002	PGDYO-02 (N/O)	मानव जीव विज्ञान एवं योग	4		
9007	PGDYO-07(N)	पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा	4		
9008	PGDYO-08(N)	योग चिकित्सा	4		
25097	DYS-02 (N)	हठयोग परिचय	4		
	DYS-02 (O)	योग संस्कृति एवं मूल्यपरक शिक्षा	4		
25098	DYS-03 (N/O)	मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान का सामान्य परिचय	4		
25104	DYS-09 (N/O)	स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं योग	4		
25105	DYS-10 (N/O)	योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा	4		
2703	PGFHR	Human Rights and Duties मानवाधिकार एवं कर्तव्य	Non Credit		
2702	PGFGS	गाँधी विचार एवं शांति अध्ययन Gandhian Thoughts and Peace Studies	Non Credit		

27.05	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती है। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निर्माण भी अलग–अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समान पाठ्यक्रम वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग–अलग कराया जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
27.06	योग में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो और शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर भी विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old Student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)। <u>योग कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि</u> योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी की सुविधानुसार संख्या एवं अभिगम्यता के आधार पर प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो सत्र (दो घण्टे) का होगा। प्रथम सत्र में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे प्राणायाम, व्यायाम, आसन इत्यादि तथा द्वितीय सत्र बौद्धिक प्रशिक्षण जो व्याख्यान पर आधारित होगा। बौद्धिक प्रशिक्षण के लिये 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाय।	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.03</u>

<u>बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) हेतु कन्टीजेन्सी/मानदेय एवं पारिश्रमिक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के निमित्त प्रवेश परीक्षा हेतु कन्टीजेन्सी/मानदेय एवं पारिश्रमिक निम्न विवरण के अनुसार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रश्नगत प्रकरण परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। (पूर्व एवं प्रस्तावित दरों की सूची संलग्नक–01)

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक

कन्टीजेन्सी/मानदेय/पारिश्रमिक का पूर्ण विवरण

क्र.सं.	पद नाम	पूर्व की दर	प्रस्तावित दर
1	प्रेक्षक/पर्यवेक्षक मानदेय	रू0 1500/-	रू0 2000/- नियत
2	परीखा केन्द्रों पर पर्यवेक्षकों के वाहन भत्ता हेतु	–	रू0 500/- नियत
3	स्टाफ पारिश्रमिक एवं समस्त कन्टीजेन्सी व्यय हेतु (पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर)	–	रू0 2.50/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी
4	केन्द्राध्यक्ष	रू0 1650/- या रू0 2.50/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी जो भी अधिक हो	रू0 2250/- नियत
5	उप/सहायक केन्द्राध्यक्ष (250 अभ्यर्थियों तक 01 एवं अधिक होने पर अधिकतम 02)	रू0 850/- नियत	रू0 1100/- नियत
6	मुख्य कक्ष निरीक्षक (प्रति 250 परीक्षार्थियों पर 01)	रू0 350/- प्रति पाली	रू0 500/- प्रति पाली
7	कक्ष निरीक्षक (प्रति 25 परीक्षार्थियों पर 01)	रू0 225/- प्रति पाली	रू0 400/- प्रति पाली
8	केन्द्र व्यय	रू0 6.00/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी	रू0 7.00/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी
9	जलपान व्यय	रू0 1.50/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी	रू0 5.00/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी
10	आकस्मिक व्यय (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा विविध व्यय)	रू0 6.00/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी	रू0 9.00/- प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी
11	जनरेटर (डीजल/पेट्रोल सहित)	रू0 550/- प्रति परीक्षा केन्द्र	रू0 1000/- प्रति परीक्षा केन्द्र
12	कोर कमेटी के सदस्य i- निदेशक/आचार्य/एसोसिट प्रोफेसर ii- असिस्टेंट प्रोफेसर/प्रवक्ता/परामर्शदाता iii- तृतीय श्रेणी कर्मचारी	रू0 1500/- रू0 1000/- रू0 600/-	रू0 2000/- रू0 1500/- रू0 1000/-

नोटः- MBA एवं MCA कार्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या न्यूनतम 2000 होने पर उपरोक्त दरें प्रभावी होंगी अन्यथा पूर्व की दरें लागू होंगी।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के निमित्त प्रवेश परीक्षा हेतु कन्टीजेन्सी/मानदेय एवं पारिश्रमिक हेतु उपरोक्त प्रस्तावित दरों को यथावत स्वीकार किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि MBA एवं MCA कार्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या न्यूनतम 500 होने पर उपरोक्त दरें प्रभावी होंगी अन्यथा पूर्व की दरें लागू होंगी।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.04

विश्वविद्यालय द्वारा विगत सत्र से 34 कार्यक्रमों के विभिन्न प्रश्न–पत्रों हेतु OMR आधारित परीक्षा सम्पन्न कराई जा रही है। परीक्षकों द्वारा प्रति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के निर्माण हेतु दिये जाने वाले दर पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा विगत सत्र में 34 कार्यक्रमों के विभिन्न प्रश्न–पत्रों हेतु OMR आधारित सामान्य कार्यक्रमों की परीक्षा कराई जा रही है। ऐसे OMR आधारित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भुगतान हेतु कोई दर अनुमोदित नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का निर्माण एवं माडरेशन कराया जाता है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के निर्माण एवं माडरेशन हेतु जो दर प्रति प्रश्न–पत्र बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परीक्षा हेतु प्रभावी है वही सामान्य कार्यक्रमों के प्रश्न हेतु लागू करने सम्बन्धी प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से OMR आधारित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भुगतान हेतु जो दर प्रति प्रश्न–पत्र बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के निर्माण एवं माडरेशन हेतु हेतु प्रभावी है वही सामान्य कार्यक्रमों के प्रश्न हेतु लागू करने हेतु उपरोक्त प्रस्ताव को समिति ने यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.05

मूल्यांकन कार्य हेतु जिस प्रकार मानदेय निर्धारित है, उसी आधार पर गोपनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी मानदेय देने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न होने वाली परीक्षाओं हेतु उनकी समय बद्धता व गोपनीयता के कारण अपेक्षाकृत कम कर्मचारियों के साथ अधिक कार्यों को सम्पादित करना होता है। जिसके कारण इस कार्यो में लगे कर्मचारियों को लगभाग पूरी परीक्षा अवधि तक समय की कोई निश्चितता नहीं होती है। उन्हें कार्यालय अवधि से बहुत पहले आकर एवं देर रात्रि तक कार्य करना होता है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में वे अपने पटल के कार्यों का भी निस्तारण करते हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने हेतु जो उन्हें उनके पद के अनुरूप यथा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिये एकमुश्त धनराशि निर्धारण करने सम्बन्धी प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा समिति उपरोक्त प्रस्ताव से सिद्धान्तः सहमत हुयी। किन्तु मानदेय निर्धारित करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों से पत्राचार करने का निर्णय लिया तथा पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

<u>कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.06</u>

<u>विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों से विश्वविद्यालय मुख्यालय को प्राप्त लिखित उत्तर पुस्तिका की प्रश्न पत्रवार पैकटिंग इत्यादि हेतु कार्यरत कर्मचारियों के लिये पारिश्रमिक निर्धारण किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार</u>

विश्वविद्यालय द्वारा सम्पादित हो जाने वाली परीक्षाओं के उपरान्त विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से विश्वविद्यालय को प्राप्त लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन एवं प्रश्न पत्रवार पैकटिंग का कार्य क्षेत्रीय केन्द्रों एवं विश्वविद्यालय मुख्यालय के परीक्षा विभाग में किया जाता है उक्त कार्य हेतु क्षेत्रीय केन्द्रों के कर्मचारियों एवं समन्वयक हेतु पारिश्रमिक/मानदेय निर्धारित है। जबकि विश्वविद्यालय मुख्यालय के कर्मचारियों को इसी कार्य के लिये कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाताहै। यह भी दृष्टब्य है कि प्रश्नगत कार्य का दो तिहाई कार्य विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर ही होता है। अतः मुख्यालय के कर्मचाारियों को उत्तर पुस्तिका संकलन एवं प्रश्न पत्रवार पैकेटिंग के कार्यों में लगे कर्मचारियों को मानदेय दिये जाने हेतु जो उन्हें उनके पद के अनुरूप यथा तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी एवं कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिये एकमुश्त धनराशि निर्धारण करने सम्बन्धी प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परीक्षा समिति उपरोक्त प्रस्ताव से सिद्धान्तः सहमत हुयी। किन्तु मानदेय निर्धारित करने हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों से पत्राचार करने का निर्णय लिया तथा पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

सभापति

परीक्षा नियंत्रक

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.07

PGDYO एवं DYO कार्यक्रमों में प्रश्न–पत्रों की संख्या एवं उनके Terminal के पूर्णांक के निर्धारण किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

परीक्षा समिति ने PGDYO एवं DYO कार्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों के निर्धारण किये जाने हेतु निदेशक स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को अधिकृत किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे उक्त दोनों कार्यक्रमों जिनकी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार पर सम्पन्न होनी है। उनके लिये वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न बनवाये जायें तथा प्रत्येक प्रश्न दो अंक होंगे।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 28.08

परीक्षा विभाग हेतु एक Strong Room तथा एक Record Room बनाये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

परीक्षा समिति ने परीक्षा विभाग हेतु एक Strong Room तथा एक Record Room बनाये जाने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

सत्यापित

परीक्षा नियंत्रक